MR. CHAIRMAN: He cannot say now. He requires notice for all these questions. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: I shall now put the clauses to the vote.

The question is:

"That clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI K. C. PANT: I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.48 HRS.

STATUTORY RESOLUTION *RE*: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF UTTAR PRADESH

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं: कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरंतर लागू रखने का अनुमोदन करती है"।

सभापति महोदय, यह सचमुच में ही हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि इस तरह की चीज हम को लानी पड़ रही है और वह भी इस देश के सब से बड़े प्रदेश के लिए। लेकिन वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन से विवश हो कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और उसकी अवधि को बढ़ाना पड़ा? इन परिस्थितियों से यह माननीय सदन अच्छी तरह से अवगत है और मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह से वहां पर पिछले आम चुनाव के बाद राजनीतिक घटनायें और दुर्घटनायें हुई और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक अवसरवादिता का वहां पर खेल खेला गया, इस सब से माननीय सदस्य अवगत हैं। जब यह देखा गया कि संविधान के अन्तर्गत वहां का प्रशासन चलना असम्भव हो गया है तब राज्यपाल ने इस बात की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय से की कि वहां का जो शासन है उसे खत्म करके राष्ट्रपति जी का शासन वहां लागू कर दिया जाए तथा मध्यावधि चुनाव कराये जायें। इस सिफारिश के पहले यह आशा की जाती थी कि अगर वहां पर विधान सभा को थोड़ा स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद इस बात का प्रयत्न किया जाए कि किसी तरह से वहां जिम्मेदार सरकार कायम हो सके तो की जाए और इस तरह की सिफारिश भी राज्यपाल महोदय की तरफ से की गई थी। हम लोगों के लिए—और मैं समझता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे—यह दुख की बात है कि वहां पर इस तरह की कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बन सकी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपूर) : इस का मौका ही नहीं दिया गया।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत मौका दिया गया और उस मौके का दुरुपयोग किया गया, इसी लिए वहां पर कोई सरकार नहीं बन सकी और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद एक सलाहकार समिति बनाई गई, जिस में इस माननीय सदन और राज्य सभा के सदस्य गण हैं। यद्यपि इस सलाहकार समिति का कार्य केवल कानूनी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना है, लेकिन हम लोगों ने यह सोचा कि यदि माननीय सदस्य उन दूसरी बातों को भी इस सलाहकार समिति में उठा सकें और उन पर चर्चा कर सकें, जिन का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के विकास, उन्नति और भलाई से है, तो यह ठीक होगा। इस लिए इस सलाहकार समिति की पिछली तीन मीटिंग्ज में इस तरह के प्रश्न उठाए गये। ख़ासकर नैनीताल में हुई मीटिंग में इस तरह के काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये और उन के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, जिस से माननीय सदस्यों को, और हम लोगों को भी, पता लगा कि उत्तर प्रदेश में किन बातों की आवश्यकता है, वहां पर क्या काम हो रहा है और किस तरह आगे काम करना चाहिए।

मुझे दुख है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में बड़ी अप्रिय घटनायें हुई है। कल ही एक अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री महोदय ने बताया कि इस बारे में हम क्या करना चाहते हैं। इस तरह की घटनायें कहीं भी हों, चाहे वे राष्ट्रपतिशासन के अन्तर्गत क्यों न हों, उन के बारे में गहरी चिन्ता और दुख होना स्वाभाविक है। इस लिए जैसे ही उन दुर्घटनाओं की सूचना मिली, उन के बारे में जांच-पड़ताल की गई और हम लोगों ने यह तय किया कि उन के बारे में प्रशासकीय अधिकारियों, एक्सीक्यूटिव आफ़िसर्ज, के द्वारा जांच न कराई जाये; चूंकि बहुत गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, इस लिए न्यायिक अफ़सरों द्वारा उन की जांच करानी चाहिए। जिन दो तीन स्थानों से ऐसे गम्भीर मामलों की सूचना मिली है, वहां न्यायिक अफ़सरों द्वारा जांच-पड़ताल कराने का निर्णय किया गया है।

माननीय सदस्य, श्री शिव चरण लाल, ने आगरा में हुई दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। शायद वह इस वक्त सदन में हाज़िर नहीं हैं। हम लोगों को जब यह सूचना मिली, तो हम ने यह सोचा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस के बारे में तत्काल जांच होनी चाहिए। इस के अनुसार वहां पर तत्काल जांच का हुकम दिया गया और चूंकि यह पता लगा कि वहां पर सचमुच जनता के साथ अत्याचार हुआ, इस लिए तात्कालिक कार्यवाही भी की गई। जो सब-इंसपैक्टर थाने के चार्ज में था, उसे निलम्बित, ससपेंड, कर दिया गया। उस के साथ साथ दो अफ़सरों को ससपेंड किया गया और चार दूसरे अफ़सरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया।

15.53 Hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

इस प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हम लोग कोई दलगत दृष्टि रखते हैं या दलगत भावनाओं से काम करते हैं। अगर ऐसी कोई बात हमारी निगाह में आती है, जो सचमुच गम्भीर और ग़लत है, तो उस के सम्बन्ध में तात्कलिक कार्यवाही करने का आदेश दे दिया जाता है। मैं माननीय सदन को आश्वासन देना

चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य और कोशिश यही रहेगी कि हम वहां पर निष्पक्ष रूप से शासन चला सकें और राष्ट्रपति शासन की अवधि में जनता के हित के सब ठोस काम हों। हम लोग राष्ट्रापति शासन को कोई काम-चलाऊ शासन नहीं मानते हैं। वैसे यह बात साफ़ है कि जब तक वहां पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना नहीं होती है, तब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति शासन चलाना ही पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय हम ने चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के बारे में बहुत सी बातें तय करनी हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरीखे प्रदेश में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। तो भी हम यथा-सम्भव इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य सम्पन्न हों और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित हों। इस में जनता का दृष्टिकोण भी आ सके, इस लिए राज्यपाल महोदय ने एक समिति का गठन किया है, जो योजना समिति के नाम से जानी जाती है। उस समिति में उत्तर प्रदेश के संसद्-सदस्यों को शामिल किया गया है। इस बारे में उन की सलाह ली जाती है और जहां तक सम्भव होता है, उस सलाह पर गम्भीरता से विचार कर के उस का उपयोग भी किया जाता है।

इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग वहां पर शासन चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस में किसी के मन में इस तरह की कोई शंका या शुबहा होना उचित नहीं है कि हम उस काम को किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं या मध्यावधि चुनाव के लिए किसी दल-विशेष को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि इस तरह की कोई बात न हो—और न ही ऐसा लगे—कि केन्द्रीय शासन के कारण वहां पर कोई अनुचित कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी कोई घटना या दृष्टान्त उन के सामने आये, तो वे ज़रूर हम लोगों को उस से अवगत करायें। यदि उस में सच्चाई हुई, तो ज़रूर उस के बारे में तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी कोई भावना उत्तर प्रदेश में न फैल सके।

जैसा कि मैं ने कहा है, हम लोगों को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के लिए प्रायर्टीज तय करनी हैं। इस के बारे में सलाहकार समिति ने भी राज्यपाल महोदय को कुछ सुझाव दिये हैं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए उन को सब से ऊपर रखा गया है। हम लोग चाहते हैं कि सिंचाई, बिजली और यातायात, कम्यूनिकेशन्ज़, को भी ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। इस के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उस को स्थिर किया जाये। वहां की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जब तक उस में स्थिरता नहीं आयेगी, वह रोकी नहीं जायेगी, तब तक हम आर्थिक क्षेत्र में कितनी ही उन्नति करें, जितना फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता को आर्थिक उन्नति से मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकेगा।

इस बात के भी प्रयत्न किये गये हैं कि मजदूर क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा शान्ति रहे। मुझे खुशी है कि पिछले एक साल से मजदूर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक शान्ति है।

श्री स० मो० बनर्जी : कारख़ाने तो बन्द पड़े हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि शान्ति है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं ने कहा है कि अपेक्षाकृत शान्ति है । कारख़ाने ज़रूर बन्द पड़े होंगे ।

इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, का एक संशोधन है । यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्यों के सामने आ सकता है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने सब राजनैतिक दलों से परामर्श कर के यह तय किया है कि फ़रवरी में आम चुनाव हों, तब राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए क्यों बढ़ाई जा रही है । मैं कहना चाहता हूँ कि छः महीने की अवधि बढ़ाई जा रही है, इस का मतलब यह नहीं है कि हमारा इरादा छः महीने तक राष्ट्रपति शासन रखने का है । यह बात बिल्कुल नहीं है । हमारा ज़रा भी यह इरादा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन ज़रूरत से ज्यादा एक दिन भी चले परन्तु चूंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि हम छः छः महीने के लिए यह अवधि बढ़ा सकते हैं, इस लिए हम इस को छः महीने के लिए बढ़ा रहे हैं । मैं यह नहीं कहता कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे कि इस को तीन महीने के लिए बढ़ाया जाये । यह सम्भव हो सकता है कि तीन महीने का प्रस्ताव आता और संवैधानिक दृष्टि से कोई आपत्ति न होती । लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा किसी भी तरह से वहां पर ज्यादा देर तक राष्ट्रपति शासन रखने का नहीं है ।

सब राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जो दिन चुनाव के लिए तय किया जायेगा, उस दिन जैसे ही चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तुरन्त समाप्त हो जायेगी । यदि माननीय सदन छः महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे देता है, तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम ज़रूर छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन चलाना चाहेंगे । यदि एक, दो या तीन महीने में, जब भी हो, चुनाव हो जाये और लोकप्रिय सरकार बन जाये, तो इस उद्घोषणा का महत्व समाप्त हो जायेगा और इस को कैन्सल कर दिया जायेगा । माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, इस बात को ध्यान में रखें । मैं अधिकृत रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा किसी भी तरह राष्ट्रपति शासन को फ़रवरी से आगे बढ़ाने का नहीं है, जब तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आगे बढ़ाना उचित न समझें ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ग़लत समझे हैं । कांस्टीट्यूशन में कहा गया है :

"Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed..."

MR. CHAIRMAN: Is it a point of order?

SHRI S. M. BANERJEE: He referred to my amendment.

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat.

16 HRS.

SHRI S. M. BANERJEE: I am asking a question.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister finish his speech and then he can do so. I will not allow any member to speak in between unless it is a point of order.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: May I say that I did not say that six months is compulsory? I have

[Shri Vidya Charan Shukla]

even conceded that it is possible to move a motion for continuance of President's Rule for a shorter period, two months or three months. I did not say that it is not possible; but I said that normally it is not done. But it does not mean that we want to continue President's Rule in U.P. for six months. That is the limited point I have made and I hope, Sir, you will appreciate it.

सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के बारे में जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर के इस को सर्वसम्मति से अनुमोदित करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 25th February, 1968, in respect of Uttar Pradesh issued under article 356 of the Constitution by the President, as varied by subsequent Proclamation dated the 15th April, 1968, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968."

There is an amendment by Shri S. M. Banerjee. Is he moving it?

SHRI S. M. BANERJEE: Yes, Sir, I beg to move:

That in the resolution,—

for "six months" *substitute*—

"three months" 1

MR. CHAIRMAN: Both the Resolution and the amendment are before the House.

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr. Chairman, as the Hon. Minister has said, it is very unfortunate that the biggest State in this country should have failed to maintain her parliamentary structure and should have to oblige the President to take charge of the administration there. This is not the first or the last of the States which have gone on to President's Rule or which are likely to go on to President's Rule. Six States have already had this plight and blight also. It is time that we give some thought as to why these things are happening.

Does it not become clear from what has happened during this period in all these States that the present system of Cabinet ministerialism is not quite so suitable to Indian conditions, that the system that we have been trying to implement, to use here, to fit our people into may not be quite so suitable to have, to have majority to rule on one side and a minority to offer opposition? The results of the general elections in 1967 have made the fact very clear that the people are no longer prepared to allow the earlier dispensation to continue, by allowing the Congress alone to gain overwhelming majorities in the legislature and thus form ministries based upon the majorities and having a small minority in the opposition, split into a number of political parties, trying to oppose it and make it behave in a responsible manner. That they have made very clear indeed. Then the experiment has been tried of getting together all other parties, as many of the other parties as possible of the minority parties outside the Congress sphere, get them together, form the so-called SVD and then provide a ministry by a majority. That experiment has, on the whole, failed except in one or two States. It has failed not after a long enough interval. It had begun to fail soon after the first six months and it failed very miserably in many other places also.

Why has it failed? Because the Congress was not reconciled to the loss of power; the Congress was not prepared to play the role of a responsible Opposition for a long enough period, for at least one period of the Legislature, that is, five years. It has been the plight as well as the responsibility and the privilege of so many of us in the Opposition in different parts of the country as well as in this House to have been playing the role of responsible Opposition, to have been content with that role, re-

maining in the Opposition and trying to serve our democracy. But not so was the case with the Congress. They were not prepared to play that role at all. It is very unfortunate, and it is a miserable state of things also, because it was after having exercised and enjoyed power for more than 17 years that it should have become so very impossible for the Congress to take on the role and responsibility of the Opposition and serve our democracy. Let that be as it is.

When they began to play their role as Opposition, they developed a new instrument, the dangerous instrument of denigration and destruction of our democracy, that is, the instrument of defection. They developed it and used it in Rajasthan to start with. Afterwards other parties also have had to indulge in that game, with the result that this has become a veritable devil indeed for democracy in our country and we have been at it all this time as to how to get over this particular difficulty. No one solution has been put forward by any of the political parties as being capable of helping us to get over this danger of defections.

Under these circumstances is it not time that we began to think of some other way of approaching our democratic institutions, using them and helping them to make a success and serve our democracy? During the past ten years and more when it had become possible in one or the other State of our States, when it had happened that the Congress had lost its majority and the other parties were not united among themselves to provide a good enough majority and it became necessary here and there for the Congress or other parties to put in power a minority group of people and in that way make a mess of our democracy, I have been suggesting that an experiment should be made with the Swiss type of government, the committee form of government, a government where all the parties in a Legislature would come to be represented more or less in proportion to their respective strengths and in that way make it unnecessary for any one of these parties to play at the game of defection and also to play at the game of being an irresponsible Opposition and to try to accommodate with all other groups and thus provide an effective, useful, honest and efficient cabinet form of government and democratic form of government. From time to time the ministers in charge of this question began to say that they would get it examined by their constitutional pundits whether such a form of cabinet system could come to be worked and could come to be ushered in here within the four corners of our Constitution. But no serious thought has been given till now to it.

There is no guarantee even now that the Congress would be able to get a majority in U.P. Some of the parties also, the BKD and the Jana Sangh, are laying claims similar to those of the Congress that they alone would be able to get a majority. It is not yet certain whether any two parties which would be willing to work with each other in harmony would be able to get a majority. They might. They might quote what has happened in Haryana. It might happen too. But would it not be better for the Government to try this experiment in the light of the experiences that we have had? They might say: Do you want us to try this experiment in this biggest State; would it not be a shame? Was it a shame for France, which also has the same population as U.P. and which has had a longer tradition of democratic institutions, to give up the earlier system and to be put under DeGaullism? If it was good enough for them and if you say that they have a responsible Government and an effective instrument of legislature, why should it not be possible for U.P. to make an experiment of this?

MR. CHAIRMAN: U.P. is not an independent sovereign State. It functions within the Constitution.

SHRI RANGA: Within the Constitution also, as I am saying. I do not wish to go into all those details. I have many other points to discuss now. It will be open for the Governor

[Shri Ranga]

to call upon the leader of the single largest party in U.P. if and when their legislature comes into existence to form the Ministry. It would be open to that gentleman to give representation to all the political parties to form his Ministry and all the political parties may co-operate with that gentleman and help him to form his Ministry just as it was possible for the SVD people, having 12 or 13 parties in West Bengal, to come together and then to make a Ministry that represented almost all their groups. It should be possible for all these groups including Congress, to form a Ministry and that Ministry would be responsible to the legislature. Heavens are not going to fall or the Constitution is not going to be set at naught. That sort of Cabinet would, certainly, be able to provide a Government which I consider would be able to provide a better administration, abler administration, less costly, more responsible, more honest and more competent administration than what we have had till now either under the dispensation of the SVD or under the dispensation of the Congress.

I am glad my Hon. friend has given an assurance to this House that they do not want to exploit the President's Rule for any political purposes or for the benefit of their party in U.P. or for the benefit of their party in the whole of the country. What is it that they have done in getting all these Supplementary Demands passed today? How is it that it did not strike them, when the Budget was prepared, to make provisions for all these various items of new expenditure or additional expenditure in different spheres of social and economic life in U.P. which are calculated to win over the goodwill, the votes and the support of various sections of people? Did it not strike them then to think of having a pool for fertilisers, spending Rs. 10 crores, to be distributed among kisans or to have *bhoomi samrakshan*, such a great discovery that they have made? We have been crying for such a long time to have cotton seed farms, to have soil testing units, to have cotton crop-threshing plantations....

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Is it his case that all the activities of public good should be suspended during the President's Ruie? Is it his case that no activity of public good should be started? My point was that nothing of this kind will be utilised for gaining any political advantage for any political party. But the work for the public good will be continued and advanced.

SHRI RANGA: The Government of India was not willing to advance money when Shrimati Sucheta Kripalani was the Chief Minister or when Shri Charan Singh was the Chief Minister. But now, suddenly, the Government of India has awakened to its responsibilities to the poor people, agriculturists and others in U.P. Therefore, they are prepared to place at their disposal Rs. 19 crores. They had already placed at their disposal Rs. 11 crores in the Budget and they have now placed Rs. 8 crores more at their disposal. Then, not being satisfied with it—I am glad they have done it—here are these things. There is the Bhopali pumped canal project, there is the Zamania pumped canal project and there is the Dalamu canal project. There are the private tubewells—500; pumping sets—1500 and major masonry wells—3400. They are to irrigate 32,000 acres and so on.

Then there are State tubewells; 9,000 of them are going to be energised. Even half of them were not energised during the recent famine but now they are going to energise all of them, and reconstruct and renovate the derelict lined guls of State tubewells.

SHRI CHANDRA JEET YADAV (Azamgarh): As a peasant leader, you should welcome them.

SHRI RANGA: I have agreed with you in getting them passed. It is after passing them that I am now saying these in the face of this Government. These are the things which the Government has helped us to pass and provide funds for.

Then, where is this beautiful thing which Dr. K. L. Rao is so very fond of—Gandak project? Here the amount is Rs. 3 crores—Rs. 2 crores from the Centre and Rs. 1 crore from Bihar's share. All these have suddenly come from the magician's bag; otherwise, they would not have come at all.

Co-operation has been exploited very badly in U.P. as all of you know. They borrow money from the Reserve Bank of India at not more than 2½ per cent and they advance, lend, the same amount of money—these new *shukars*, these new usurpers—to the people at 9 per cent or even 10 per cent. Even at that, the Government of India and the Reserve Bank and all these people were not willing to place sufficient funds at the disposal of U.P. Government during those days, but now they place quite a lot of it. Then 90 per cent subsidy is being given to the co-operatives in Terai regions...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): The rate of Reserve Bank is not 2½ per cent; it is 4 per cent.

SHRI RANGA: He has made it worse. He has added another exploiter, *i.e.*, the Reserve Bank of India. Hitherto the Reserve Bank of India was advancing at the rate of 2½ per cent, but now they want to take 4 per cent. At what rate are they advancing it to the poor kisans? 9½ or 10 or 12 per cent. The U.P. Government have always been the worst usurpers so far as kisans are concerned. Even at that there was not enough money. But now this President's Government is coming forward. In the Terai region, up to 90 per cent they give subsidy.

As if these co-operative inspectors have not been exploiting the kisans enough, more of them are going to be appointed. Some time ago, khadi development officers were retrenched, but now they are going to be provided with jobs. Everybody knows what the khadi development officers have been doing. The khadi development officers have been working for the benefit of the ruling party—during elections and at public expense; this is what my Hon. friend, Shri Dandeker suggests.

For backward and scheduled castes also, they are going to give scholarships, stipends, etc.

Coming to industries, there is going to be a co-operative spinning mill somewhere as if we are having prosperity for the spinning mill. Everywhere else the spinning mill is going out of employment, out of production, but here in U.P. a spinning mill is being conjured up because some Congressmen are interested in this.

Loans for minor irrigation works are also coming for 10 districts. More than a crore of rupees are being placed at their disposal.

Then comes elementary education. Of all the States, U.P. has been the most neglected State so far as education is concerned. There are more industries, more universities, more high schools, more polytechnics, more agricultural universities, but what is lacking is elementary education. The highest illiteracy prevails in U.P. The backward classes and the tribal people have been the most neglected. The Scheduled Castes have been neglected and the Harijans have been hopelessly illiterate there, and that is one of the reasons why the Congress has been able to have a happy house there all these years. The backward and socially submerged people were never helped to become literates and in that way to develop their own political capacity and organisation and become self-reliant and assert themselves. What is it that the Government wants to do? It is going to take a lakh of rupees as grant from the Government of India in order to make an experiment as to how literacy can be developed among the farmers. At long last, the Government of India has awakened itself to this. What does this show? In that State, the interests of the masses have been neglected all this time and now the interests of the masses are going to be exploited. The needs of the

[Shri Ranga]

masses are going to be exploited for the political benefit, the electoral benefit, of this ruling party. This would be very difficult to stomach indeed. But these friends make people believe that they are not going to exploit this President's regime for the benefit of their own party. If they are really sincere in convincing the people and in assuring them that they do not want to derive any political benefit at all, let them begin to take active steps to negotiate with all other political parties in U.P. on the basis of their willingness to have an all-party government and in that way, help those people to come to have for the first time a good enough administration and a sound enough Cabinet. Otherwise, what would happen is a repetition of the ten points that Shri Charan Singh had placed before the SVD and the failure of the SVD. The same thing would happen next time also; whether it would be Chaudhuri Charan Singh who is a kisan or whether it would be Guptaji, who is who, who is master of 65 lakhs of rupees of public funds, or whether it would be anyone else, U.P. would come to suffer in the same way as it has suffered, under the weight of those politicians who are out for grabbing power not only for themselves, not only for their own parties but for those sections of those upper class people who have been able till now to monopolise political power in that State.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): When I was listening to the brilliant speech of the leader of the Swatantra Party, it appeared as if the stepmother is very very grudgeful because U.P. is going to get a few favours from the Central Government. U.P. is one of the States of India, which, though it has given three Prime Ministers to India, though it was the land of Rama and Krishna and Akbar and Jehangir, is today one of the most backward in the country, and when today the Government of India on the advice of the State Governor have come out with certain favours to the peasantry of U.P. why should the stepmother sitting on the Opposition Benches grudge these few crumbs given to that poor State?

Even if what the U.P. Government in the person of the Governor has demanded from the Central Government is conceded *in toto*, at the end of the Fourth Plan U.P. would still be a more backward than all the developed States in India as they were at the end of the Second Five Year Plan. Therefore, when our Minister of State for Home Affairs was referring to the discussion which was held in Nainital in which I was also a participant, we should remember that the Governor of U.P. and his administration are probably doing their non-partisan best to serve the State. Where they have gone wrong, they should be criticised. The Governor of U.P., who is a South Indian, went through the files and presented before the National Development Council those documents which brought to light the real position of the State of U.P. The Governor's action should have been appreciated. The Governor has now come out with an innovation, a Planning Board, in which there is an attempt to associate the Members of Parliament from there in order that their views might be incorporated and taken into account in solving the problems of the State. These are democratic innovations with which he has come forward, which should be welcomed.

I may also remind the House that we in the Advisory Committee with the Hon. Chairman as a member had placed before the U.P. Government a demand that the salaries of primary school teachers and district board school teachers should be raised. I welcome the decision of the U.P. Government that the most backward sections of teachers in U.P. are going to get the benefit of a ten-rupee increment in their salaries. I am also hoping that the Government of U.P. will not alter the grant of pensions to those who had retired in 1950 and earlier and have become the junk of society, the old people. The old Government employees of U.P. are always ignored in any scheme that the U.P. Government or the Central Government may bring forward. Many State Governments are trying to bring the salaries of their employees on par with

the Central employees. That should be done in U.P. also. It is not a question of discipline or absence of it. It is a question of satisfied government employees working for the welfare of the State. Therefore, the demands of the U.P. Government employees must be considered. If not all, most of the retrenched employees should be taken back. The Central Government employees went on strike but the Central Government did not refuse to take them in. Why should the U.P. Government not do so? Why do they refuse to take back the leaders of the U.P. government employees?

16.26 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

There are fourteen districts in eastern U.P. The total number of districts in U.P. is forty where the educational institutions go up to M.A. or M.Sc. These classes are not permitted in the 14 eastern districts. They may argue that the standard of education may not be so high. Why this discrimination? If the standard is low, you can abolish higher education in the other districts also. Amendments must be made to the Gorakhpur University Act and other University Acts also in eastern U.P. so that eastern U.P. is not deprived of the benefits of higher education.

I brought up the question of blackmarket in education in the Rashtrapati's committee meeting in Nainital. Even today in certain centres in U.P. the teachers are not given salaries for months together. They are given Rs. 100 and are asked to sign the receipt for Rs. 200. At my insistence, the system of cheques has been introduced by the Chief Secretary. That should be followed throughout the whole State so that the poor teachers of U.P. are not deprived of their legitimate emoluments.

The Planning Board of U.P. has been raising the matter of Sarju project with the Central Planning Commission. It should not be made a burden on the tax payers of U.P. We had been financially disenfranchised in the last three plans. The Sarju project should be the gift of the Central Government and the Planning Commission to the eastern districts of U.P.

I come from a division called Faizabad division whose total population is bigger than that of many of the States of India. Yet this division of six districts has no industry; it has not been granted small or big favours during the last three plans. There are no universities, no engineering colleges or medical colleges in this area and also no public sector undertakings. The electronics factory is coming. Why should not the Centre and the State Government come together so that this area is granted the favour it deserves? The decision of the Patel Commission in the last Plan should be applied to Faizabad division also.

About law and order, I want to point out that in the district of Faizabad, in the Jahangirganj area, the *thanedar* is ruling like a Moghul. It is time that his deeds and the deeds of the police authorities in the district of Faizabad were examined. The Ghaggra cuts through my district and there are many areas and lands in my district particularly Mooradiha which cut into the district of Basti. Those people are led by one Chandra Bhan Singh; there are thousands of acres of land of the poor peasants of my district which are illegally under the possession of that man and his followers. That man is a dacoit. He has become a multimillionaire; he is the owner of cars and with the connivance of the administration at the district level and the tehsil level in Basti, he is depriving hundreds of peasants of my district of their land; they are becoming landless; they are starving, and they cannot find the requisite amount of money for feeding their bullocks and other animals. This must also be looked into and examined.

Another thing that I want to point out is this. Ayodhya is the birth-place of Lord Rama. It is a place where the very origin of the Hindu religion lies. There, the Government of India was kind enough to put up a bridge across the Sarayu; this bridge is a tragedy

[Shri R. K. Sinha]

because it has been built for a distance of three furlongs from the main gate of Gohsainganj. Around that area, thousands of mosquitoes are breeding and crores worth of religious property is lying waste. People do not want to visit that place; the pilgrims want to shun the district of Faizabad and the birth place of Rama, Ayodhya, because of these inconveniences. There must be either a park or a channel like that in Hardwar. Even from the point of view of tourism, Ayodhya should be very much in the map of India, it being the place of ancient culture in India. Therefore, something must be done in regard to it.

I want to bring one more point in this connection. There have been grants made by the Government of Uttar Pradesh for women's hospitals in Bikapur, Goshainganj, Akbarpur and other places. The money is granted, but the hospitals are not coming up for the last three years. In the last meeting of the Advisory Committee, I had discussed the matter about roads with one of the Secretaries of the Uttar Pradesh Government. He also assured me that the Rae-Bareilley-Faizabad road would be constructed. But even till today that promise has not been honoured. The State Government authorities must understand that in the age of democracy, when promises are made, the promises have to be fulfilled.

Lastly, when I had a discussion with the Governor and with the leaders of this country, I came to one conclusion in this country, there may be backward States and there may be forward States. But there is the poor peasant in this country, the poor peasant who has built the big cities like the Kanpurs, the Calcuttas and the Bombays. The majority of the people of Uttar Pradesh are peasants, and the majority of the peasants constitute the population of Faizabad division. Why is it that in the map of India, Faizabad division is being ignored? Why is it that whatever favours are offered, they go to Allahabad and other bigger districts of Uttar Pradesh. It is only about 13 per cent of the population of Uttar Pradesh of the Faizabad Division—that is, about one crore of the population of Uttar Pradesh that is ignored? I do not want to ask for any favour for my district. There are people who are starving; there are people who are unemployed, who go to the markets of Bombay and Calcutta, but are pushed out by the spirit of provincialism there. But we want to hoist the National Flag everywhere; we have the national unity. The backward State of Uttar Pradesh will come forward, and it shall have its claim satisfied.

श्री रामजी राम (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौक़ा दिया।

उत्तरप्रदेश में फैजाबाद एक ऐसा जिला है जोकि 21 साल से बिलकुल उपेक्षित रहा है और मैं आप के माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि उस की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आज भी जब वहां के गांवों में घूमता हूं तो वही पिछड़ापन रीवी और मायूसी लोगों में देखने को मिलती है और उस दयनीय हालत को देख कर मुंह से बेसाख्ता यह शेर निकल जाता है :

"जब आजादी नहीं मिली थी तो मिलने का था मलाल,

अब यह मलाल है कि तमन्ना निकल गई।"

आज इस आजादी के 21 साल के बाद भी यह अनुभव करते हैं कि सही तौर पर वह आजाद नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आप के जरिए से सरकार से यह मांग करूंगा कि उन की उन्नति व बेहतरी के लिए इस तौर पर ध्यान दिया जाय जिससे कि सही तौर पर उन की हालत बेहतर हो सके तौर सही मायनों में उन का विकास हो सके।

जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है गांवों में अभी भी बहुत कुछ करने को बाक़ी रहता है। मैंने पिछली बार यह आग्रह किया था और इस अवसर पर पुनः दोहराऊंगा कि गांवों में जो प्रायमरी स्कूल बने हुए है उन का मुआयना व निरीक्षण होना चाहिए। वह प्रायमरी स्कूल जैसे बने हैं वह न तो जाड़े में महफूज हैं, न गरमी में महफूज हैं और न बरसात में ही वह महफूज है। वह महज बूचड़खाने की तरह से बनाये हुए हैं। प्रायमरी स्कूलों की बिल्डिगें बिलकुल नामुनासिब और वाहियात हैं और उन में बच्चों को ठीक से बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जोकि शिक्षा के मामले में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहां पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उन की बिल्डिगों को ठीक ढंग से बनाया जाय।

यह बहुत जरूरी है कि अनिवार्य शिक्षा की जो अभी तक वहां पर अवहेलना की जा रही है उसे रोका जाय। दरअसल मुल्क की तरक्की का मियार और समाज की तरक्कीए मियार ऐसे तबके पर है जोकि बाकई में श्रमिक है। उत्तरप्रदेश में 20 फ़ीसदी से ज्यादा लोग वहां अछूत रहते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन की शिक्षा के लिए, उन के रहन सहन के लिए, और उन के कारोबार के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक ही बात आप के माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर दाखिले के सिलसिले में बड़ी धांधली बर्ती जा रही है और दाखिले में शर्तें लगा कर एजुकेशन कोड की अवहेलना की जा रही है। अभी जब मैं अकबरपुर, जलालपुर, टाडा, गौसाइगंज, और जहांगीरगंज गया था, गरज यह कि जहां जहां भी मैं गया मुझ को यही शिकायत मिली कि हरिजन विद्यार्थियों का दाखिला नहीं हुआ है। वह बेचारे मायूस होकर अपने घर में बैठ गये। पढ़ने लिखने से वह वंचित रह गये और वह बेचारे भूतपूर्व ज़मींदारों के वहां हरवाही और मजदूरी कर रहे हैं। इस में सुधार लाने के लिए सरकार को कोई सक्रिय क़दम उठाना चाहिए।

हरिजन वेलफेयर डाइरैक्टर की देख रेख में वह जो हरिजन सुधार की शिक्षा समिति बनी है उस में मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे भी कांग्रेसी नेता रख लिये गये हैं जिनके कि ऊपर सरकार का बकाया है जिनके कि ऊपर गबन का इलजाम है। उन लोगों के ऊपर 19—19 ग्रांट्स लेने का भी इलजाम है। मैं ने उस के लिए दरख्वास्त भी दी थी लेकिन वह दरख्वास्तें अभी तक पैंडिंग पड़ी हुई हैं और उन दरख्वास्तों की जांच नहीं हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हरिजन विद्यार्थियों के लिए कोई बोर्डिंग हाउस नहीं है और उस के अभाव में बेचारे हरिजन लड़के इधर से उधर मारे, मारे फिरते हैं। गांवों से हरिजन लड़के शिक्षा पाने के लिए आते हैं लेकिन चूंकि उन्हें जगह नहीं मिलती है इसलिए वह मायूस हो कर चले जाते हैं। इस के अलावा उन के नाम पर जो पैसा मिलता है, जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उस का दुरुपयोग होता है। उस पैसे से जनरल बोर्डिंग हाउस बनाते हैं। उन में जनरल लड़के रक्खे जाते हैं लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को नहीं रक्खा जाता है। इसलिए में कहना चाहता हूं कि जो पैसा उन के नाम पर दिया जाता है वह उन्हीं के ऊपर खर्च हो उन्हीं की शिक्षा व्यवस्था और बोर्डिंग हाउस आदि पर इस्तेमाल

किया जाय और यदि ऐसा किया जायगा तो उन की तालीम में एक हजाफ़ा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि फैज़ाबाद एक ऐसा पिछड़ा हुआ व अविकसित जिला है जहां 21 साल से कोई व्यवसाय आदि का इंतज़ाम नहीं किया गया है। टांडा एक कारोवारी इलाक़ा है। मैं ने अपने पिछली बार के भाषण में यह बतलाया था कि न सिर्फ वह हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया भर में वह अपने जामदानी के काम के लिए मशहूर है। वहां पर काफी तादाद में लोग कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। दरअसल फैजाबाद जिले का पूर्वी इलाक़ा हैंडलूम तथा पावरलूम से कपड़ की बुनाई में औरों के मुकाबले काफ़ी आगे है। लेकिन यहां पर कोई स्पिनिंग कारखाना नहीं है। वहां पर केवल एक नैनी स्टेपिल मिल कायम है और उस का बाज़ार में एकाधिकार है और वह 33 प्रतिशत सूद पर स्टेपुल अथवा सूत देते हैं। इस कारण वहां का जो यह कारोबार है वह बढ़ नहीं पा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां जल्दी इस चीज का इंतजाम किया जाय।

हैंडलूम का कारोबार वहां पर है लेकिन वहां पावरलूम भी 4–5 हजार चल रहे है और हैंडलूम के नाम पर पावरलूम का माल बना कर के बाहर भेजा जाता है और परिणामतः वह हैंडलूम का कारोबार दबा हुआ है। इसलिए मैं आप के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इस के ऊपर भी कार्यवाही करे।

वहां पर थाने यद्यपि बढ़ा दिये गये हैं लेकिन उन में सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाय। ला ऐंड आर्डर के लिए वहां पर सिपाहियों की तादाद बढ़ाई जानी आवश्यक है। इस बारे में मैं अपना खुद का अनुभव बतलाना चाहता हूं कि जिस इलाके में भी जाकर मैं देखता हूं मैं वहां पर त्राहि, त्राहि मची हुई पाता हूं। मुझे यह चीज बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि जो पुलिस अधिकारी व थानेदार आदि लोग हैं वह अपनी मनमानी करते हैं और हालत यह हो रही है कि वह हम एम०पी०लोगों की भी पर्वाह नहीं करते हैं। मुझे यह सुनने में आया है कि जब मैं वहां के थानेदार और एस०पी०से मिल कर चला आता हूं तो वह थानेदार और एस०पी० बाद में यह कहते हैं कि अरे वह है तो चमार ही, एम०पी० होने से क्या होता है? यह उन की टैंडेंसी बनी हुई है। इस लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस 21 साल की आजादी के बाद भी जब हम एम० पी० होने पर देहात में जाते हैं तो हमें इस ढंग से पुकारा जाता है और इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है जैसे आजादी के पहले भी नहीं किया जाता था। यह तो हमारे प्रशासन का हाल है। मैं अपने जिले का हाल आप को बतलाता हूं कि जो हमारे जिले के एस० एस० पी० उन से मैं ने बीसों बार वहां के बारे में शिकायत की, लेकिन जब मैं उन को फोन करता हूं तब वह सोते रहते हैं। उन के पास टाइम नहीं है कि मेरी बात सुनें। ऐसी हालत में हमारे होने या न होने से क्या फायदा है। लाख यहां पार्लियामेंट बैठे ,लाख मेम्बर चुन कर जायें, लेकिन सही तौर पर जो बुनियादी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे जिले के न्यायाधीश हैं उन की बांउंड्री में करीब 12 एकड़ जमीन है। उन के पहले जो न्यायाधीश वहां पर थे, श्री बंसल, उन्होंने भूमिहीन मजदूरों खासकर हरिजनों को वह जमीन बटाई पर दिया था। लेकिन जब वर्तमान

न्यायाधीश आये तब उन्होंने नहीं दिया। जब मैंने उन से कहा तब उन्होंने कहा कि यह उन का पर्सनल मामला है और मैं उस में इंटरफिअर न करूं। जब न्यायाधीशों का यह हाल है कि बटाई पर काम करने वाले जो खेत मजदूर थे उन की जमीन ले ली, तब हमें इंसाफ कैसे मिल सकता है? मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस की इन्क्वायरी होनी चाहिये। लोगों ने राज्यपाल को तार दिया, जिलाधीश को दिया, हाई कोर्ट को दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

हमारे यहां खेत मजदूरों की समस्या यह है कि वहां पर जितने पट्टे किये गये वह सब भूमिहीनों के किये गये। बाप भूमिवाला है और लड़का भूमिहीन है। इस तरह से लड़कों और नाते वांतों के पट्टे किये गये। वहां पर बहुत काफी भूमि पड़ी हुई है लेकिन वह कहते हैं कि भूमि नहीं है। जब तक वहां के भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी तब तक वहां खेती की तरक्की नहीं हो सकती।

घाघरा नदी हमारे उत्तरी हिस्से से बहती है। वहां हजारों एकड़ जमीन है। जो माननीय सदस्य मेरे जिले से आये हैं, उन्होंने इस तरफ थोड़ा सा इशारा किया है, विस्तारपूर्वक बतलाना चाहता हूं कि वहां करीब करीब 60 लाख रु. का सरकार का नुकसान हो रहा है। मैं छः साल से इस के लिये लिखता चला आया हूं, डिमांस्ट्रेशन करता हूं, प्रोटेस्ट करता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। हजारों एकड़ जमीन भूतपूर्व जमीदारों के जरिये से हथिया ली गई है, जो कि खेत मजदूरों, खास तौर से हरिजनों को नहीं दी गई है। इस लिये मजबूर हो कर वह इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस बात पर निर्णय किया जाये।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि टांडा और अकबरपुर इलाके जो कि फैजाबाद जिले मे आते हैं, इस से बिल्कुल अछूते हैं। न तो वहां नहरें हैं और न ट्यूबवेल का ही इन्तजाम है। जो बरसाती पानी होता है उस पर वह मुनहसर करते हैं। बरसाती पानी से खेत की सिंचाई कैसे हो सकती है? लगातार कोशिश करने के बाद भी सरकार इस में नाकामयाब रही है।

आज जो हरिजन नव बौद्ध हो गये हैं उन की भी वही हालत है जो कि हरिजनों की है। इस लिये जो भी नव बौद्ध हैं उन की हालत को सुधारने के लिये उन को सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें, जैसे हरिजनों को दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के यातायात के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि घाघरा नदी के पैरलल सड़क जाती है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और मया, इल्फातगंज, टांडा हसवर होते हुए वह आजमगढ़ को चली जाती है। उसी तरह से एक सड़क गोविन्द साहब से हो कर जलालपुर, अकबरपुर, महरवां होते हुए सुल्तानपुर जिले को मिलाती है। यह दो चार सड़के ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन आज तक उस पर एक मील भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया। उस के बगल में ही सुल्तानपुर जिला है। वहां मैं ने देखा कि छोटी छोटी सड़कों को पक्का किया गया। हमारा जिला यातायात के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है।

मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर सही तौर से इन सारी चीजों का इन्तजाम नहीं किया गया तो

[श्री रामजी राम]

वहां बहुत असन्तोष फैलेगा। टांडा एक कस्बा है जहां की आबादी 36 हजार है। लेकिन वहां पर जो अस्पताल है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। जब मैंने इस का सवाल उठाया कि यह डिस्पेंसरी सरकार को दी जाय और वहां सरकारी अस्पताल बनाया जाये, जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहते हैं तो वह कहते हैं कि वहां से प्रस्ताव पास कराइये और जब मैं सरकार से लिखा पढ़ी करता हूं तो वह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रस्ताव पास कराइये। न तो जिला परिषद् ही प्रस्ताव करता है और न सरकार ही ध्यान देती है। 36 हजार की आबादी के लिये कोई अस्पताल नहीं है। इस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं ब्लाक और प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि मशहूर है, प्लैनिंग के हैं तीन काम, नक्शा, मीटिंग और सलाम। इस के अलावा प्लैनिंग का और कोई काम नहीं है। लाखों रुपये हरिजनों की तरक्की के लिये, खेत मजदूरों की तरक्की के लिये और श्रमिकों की तरक्की के लिये मांगे जाते हैं लेकिन सब पैसा लैप्स हो जाता है और वापस कर दिया जाता है। किसी किस्म का कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता।

आज हमारे यहां रोडवेज की जो हालत है वह बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में यातायात की जो मुख्य साधन है वह रोडवेज है लेकिन उस की बसों की हालत बहुत खराब है और टाइम का भी किसी किस्म का कोई खयाल नहीं किया जाता। बसें घंटों लेट हो जाती हैं और आने जाने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है।

यहां पर भगवान के मन्दिर हैं उन की लाखों रुपयों की आमदनी होती है। एक तरफ इन्सान रात दिन मेहनत करता है फिर भी उन को खाने को नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, और बालबच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, दूसरी तरफ, भगवान के मन्दिर हैं। जो भी इस तरह के मन्दिर हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये और उन की जो आमदनी हो उस को विकास कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ अवश्य दिलाना चाहता हूं।

श्री बैं० ना० कुरील (रामसनेहीघाट) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत पिछली अप्रेल में उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस को छः महीना बढ़ाने का जो सदन के सम्मुख प्रस्ताव है, मैं उस का समर्थन करता हूं। उस का समर्थन तो करना ही पड़ेगा, इस लिये कि गवर्नर की जो ऐडवाइसरी कमेटी बनी है उस ने यह तय किया है कि फरवरी में एलेक्शन होंगे। तब तक अर्थात् छः महीने तक वह जारी रहेगी ही। जैसा श्री शुक्ल ने कहा, वह तीन महीने के लिये भी बढ़ाया जा सकता था, किन्तु जब फरवरी में एलेक्शन होना है तब उस को छः महीने के लिये जारी रखना ही मुनासिब होगा।

जब प्रोफेसर रंगा ने डिस्कशन को प्रारम्भ किया तब उन्होंने जो कुछ अपनी स्पीच में कहा उस से ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस ही इस बात के लिये जिम्मेदार है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। शायद वह पिछला इतिहास भूल गये कि जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ और कौन लोग उस राष्ट्रपति शासन को लाने के लिये जिम्मेदार थे। मैं उन को याद दिलाऊं कि सब से आखीर में जब एक मौका दिया गया कि एक महीने में वह लोग अपना नेता चुन लें जो संविद की इकाइयां थीं। जब यह

हो रहा था कि अब चुना जाय, अब चुना जाये तब आखिरी दिन स्वतन्त्र पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को खींच लिया। ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लाजिमी हो गया क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था गवर्नमेंट के सम्मुख। श्री रंगा यह भूल गये कि उन को यह तल्ख तजुर्बा हो गया था कि इस तरह से जो इकाइयां आयेंगी वह सरकार नहीं चला सकतीं। परन्तु इस का मतलब उन्होंने उल्टा लगाया। उन्होंने कहा कि जो तजुर्बे हुए हैं उन को देख कर सेंटर में भी एक मिली जुली सरकार बननी चाहिये। अजीब बात है उन का इस तरह से कहना।

अभी सप्लिमेंटरी बजट के समय श्री भारती ने वहां के मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत की और उन्होंने जबर्दस्त आरोप लगाये उन के खिलाफ। उन का भाषण इस हद तक पहुंचा कि उन का कोई आदमी था जो सस्पेंडेड है। श्री भारती यह कहना चाहते थे कि मुख्य सचिव उस को इस लिये बहाल नहीं करना चाहते कि किसी वक्त वह उन के अन्डर में था और उन की कोई पर्सनल राइ-बैलरी थी। इस तरह की बातें यहां पर डिस्कशन में लाना, मेरी समझ में उचित नहीं है। छ महीने तक तो राष्ट्रपति शासन वहां चलेगा। इस दौरान जो काम होंगे वे कुछ अच्छी तरह से होते रहे यह मेरी कामना है। इस में कोई शक नहीं है कि वहां का जो सामान्य प्रशासन है वह कुछ ढीला हो गया है। यह ढिलाई राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद आई है, इन पिछले पांच छः महीनों के दौरान आई है ऐसी बात नहीं है। यह ढिलाई पिछले एक डेढ़ साल से चली आ रही है क्योंकि तब से पूरे प्रदेश में एक हुल्लड़ सा मच गया, यह चीज फैलती सी गई है और सम्भालने की कोशिश करने के बावजूद भी यह सम्भली नहीं है। आज तो वह बिल्कुल लैट लूज हो गई है। इस ढलाई का असर किस पर पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है गरीब लोगों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों पर, हरिजन लोगों पर। जगह जगह उनकी मारपीट हो रही है, उनको सताया जा रहा है, उनके जमीनें हड़पी जा रही है। जब वे शिकायत करने के लिए जाते हैं कि हमारी जमीन ले ली गई है तो उसको इनक्वायरी उनके माफिक नहीं होती है। जो जबर्दस्त लोग हैं, उनके माफिक इनक्वायरी चली जाती है। समझ में नहीं आता है कि पिछले कुछ दिनों से जो पुलिस की ज्यादती की बात फैल रही है, उसके बारे में क्या कभी आपने बैठ कर उच्च स्तर पर इस बात को सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या कहीं पुलिस के अफसरों के दिमाग में यह बात तो नहीं आ गई है कि हम जो चाहें कर सकते हैं? क्या उन्होंने राष्ट्रपति शासन का मतलब यह तो नहीं लगा लिया है कि अब पुलिस का राज है और पुलिस जिस को चाहे और जिस तरह से भी चाहे दबा सकती है, सता सकती है। राष्ट्रपति शासन की सही तस्वीर उनके सामने आज रखने की जरूरत है। गवर्नर महोदय ने वहां मेरे ख्याल में काफी इस बात की छूट दे दी है। उन्होंने वहां पर एडवाइजरी कमेटी बनाई है, प्लानिंग की कमेटी भी बनाई है और वहां पर जो बातें रखी जाती हैं उन पर वह गौर करते हैं और अमल भी करते हैं। लेकिन यह पुलिस के दिमाग में कैसे बात आई कि वे जैसे चाहें लोगों को तंग कर सकते हैं, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में उच्च स्तर पर जांच कराई जाए।

[श्री बै० ना० कुरील]

प्लानिंग की भी चर्चा हुई है। सारे देश में प्लानिंग हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। उससे लाभ भी हुआ है। देश समृद्धिशाली हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ा है। वहां भी काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। चौथी योजना बन रही है। इसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे सब को फायदा हो। आज तक योजनाओं से लाभ हुआ लेकिन बड़े लोगों को हुआ है, फिर चाहे वह बड़ा किसान हो, बड़ा उद्योगपति हो या कोई भी हो। जिस के पास साधन पहले से मौजूद थे वही इससे लाभ उठा सका है और जिस के पास पहले से कुछ नहीं था उसको कोई लाभ नहीं मिला है। जैसे हरिजन हैं, लैंडलैस लेबरर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। इसलिए जो चौथी योजना बन रही है उस में बड़े बड़े काम तो होंगे ही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगेंगी ही लेकिन उसके साथ साथ ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिये ताकि इन छोटे लोगों को, साधनहीन लोगों को भी उससे फायदा पहुंचे। सारा देश तरक्की कर जाएगा और उसका कोई भी एक हिस्सा अगर इस तरह से रह जाएगा कि जिस के पास पहनने के लिए कपड़ा न हो, रहने के लिए घर न हो, पेट भरने के लिए उसके पास खाना न हो, तो देश को समृद्धिशाली नहीं कहा जा सकता है। जब देश की समृद्धि को नापा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देश अभी गरीब है। इसलिए हरिजनों और लैंडलैस लेबरर्ज के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए यह जरूरी है कि सब की समान रूप से तरक्की हो और मैं चाहता हूं कि चौथी योजना में इस बात का खयाल रखा जाए।

कुछ सुधार हुए हैं, भूमि सुधार हुए हैं, चकबन्दी हुई है। चकबन्दी की स्कीम तो लगता था कि बहुत अच्छी है और चकबंदी जब होगी तो गांवों में जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी और आबादी के लिए चकबंदी करते समय जमीन छोड़ी जाएगी। इसको छोड़ा भी गया। लेकिन बाद में फिर बड़े लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जिन हरिजनों के लिए आबादी के लिए जमीन छोड़ी गई थी वे वैसे के वैसे पड़े रह गए। उधर से एक साहब प्रस्ताव लाये थे कि गांवों में हाउसिंग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। बहुत अच्छे मकान बन कर उनको देने चाहिये। मैं तो कहता हूं कि गांवों में जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए जमीन दे दी जाए तो भी एक उपयोगी काम आप कर देंगे। मैं चाहता हूं कि कोई एक खास काम आप हाथ में ले लें और उसको सारे देश में चला दें और उसमें सफलता प्राप्त कर के दिखा दें तो भी यह एक ऐसी बात होगी जिससे आपको क्रेडिट मिलेगा। उससे पता लगेगा कि जो लोग साधनहीन हैं उनके लिए कोई तो काम आपने किया है। जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है ऐसे साधनहीन लोगों के आंकड़े आप एकत्र करें और घर बनाने के लिए उनको आप जमीन दे दें। अगर आप उनको जमीन नहीं दे सकते हैं, पानी पीने के लिए कुएं का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकेंगे, यह मैं समझ नहीं पाया हूं।

शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। हरिजनों के उत्थान के लिए जो काम हुआ है उस में शिक्षा का क्षेत्र ही

एक ऐसा क्षेत्र हैं जिससे पता लगता है कि कुछ तरक्की हरिजनों की हुई है, कुछ काम हुआ है और उनको कुछ फायदा हुआ है। उनके बच्चों को स्कालरशिप मिलता है, किताबें मिलती हैं। जो छात्रवृत्ति का रेट रखा गया था, जो इकोनोमिक बैरियर रखा गया था, जो सीमा आमदनी की रखी गई थी और जिस के नीचे लोगों के बच्चों को स्कालरशिप मिल सकते थे वह सीमा 1953 और 1954 में तय की गई थी। उस वक्त देश की हालत और थी। उस वक्त उस में उनके खाने पीने और किताबें खरीदने का खर्चा चल जाता था। आज नहीं चल सकता है। आज मैं देखता हूं लड़के होस्टल में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते हैं, अलग से खाना बनाते हैं, घर से मोटा अनाज लाते हैं और तब कहीं उनका गुजारा होता है। स्कालरशिप को जो रेट है और जो इकोनोमिक बैरियर फिक्स किया गया है, इस पर आप पुनः विचार करें और विचार करके इसको आप बढ़ायें। मुझे नहीं मालूम कि छः महीने के अन्दर यह चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन इस ओर आप अवश्य ध्यान दें।

हमारे रंगा साहब ने कहा है कि सप्लीमैंटरी बजट में बहुत सी नई स्कीमों को लागू किया गया है, बहुत से नए काम शुरू किये गये हैं। इस पर उनको एतराज क्यों है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। किसानों को अगर कोई सुविधा दी जा रही है तो उनको इस पर एतराज क्यों होना चाहिये। वह स्वयं एक बड़े किसान हैं, फार्मर्ज फोरम के पदाधिकारी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि छोटी छोटी चीजें किसानों के लिए की जा रही हैं तो इस में एतराज की क्या बात है। उनका कहना यह था कि राष्ट्रपति शासन के वक्त में यह क्यों दी जा रही हैं। अगर पब्लिक की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस पर उनको खुशी जाहिर करनी चाहिये। न कि उस पर एतराज उनको होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

MR. SPEAKER: I had requested the Members in the morning to adjust both the items within 5 hours. Now, I see that all the parties have again to begin. I thought, by calling two or three from this side and from that side we will finish it within 3 hours. It looks every party wants to have an opportunity again. I will have to guillotine it after 3 hours. Whoever is left I cannot help it. From one party, even two spokesmen have spoken on the Supplementary Demands and again there is a third one who wants to speak. It will be most unfair. Anyway, I call Mr. Nayar. Please finish in 5 minutes. Actually you have no time at all. I am just giving this much because you are a senior Member wanting to speak. Already, Mr. Atal Bihari Vajpayee and Mr. Tyagi have spoken.

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich): They have spoken on the other item.

MR. SPEAKER: In the morning—unfortunately, you were not here—I said that both may be taken together. Anyway, please finish quickly.

Dr. RANEN SEN (Barasat): What is the time allotted for this?

MR. SPEAKER: Both put together 5 hours. If you finish quickly, I will be able to accommodate more Members.

SHRI K. K. NAYAR: Mr. Speaker, Sir, hon. Minister, Mr. Vidya Charan Shukla, when he opened the discussion, said that the Governor was doing a difficult job and trying to run the administration free of party interests. Mr. Ranga impeached that statement and asserted that the party interest was being served by the administration that is now being carried on in

[Shri K. K. Nayar]

the name of the President. I would not like to enter into this controversy. If the Governor is doing a job without regard to party interests, then he is to be congratulated for it on account of his personal ability and integrity and not because of the constitutional position that makes it possible for him to do so.

Sir, as the nominee of the President he is under the Centre's control and only a very resolute person ready to throw away his job in crisis can do this. In other countries, the Governors are elected. Here, the Governor is appointed by the President and he carries on the administration in the name of the President. The Cabinet at the Centre is controlled by the Congress. It would be a miracle if he can run the administration free of party interests and, to the extent he is doing that, I congratulate him. I do not impeach his intention and the efforts of a few officers at the helm of affairs who are doing a difficult job.

I have a grouse against the present administration that, at the district level, here is complete collapse.

17 HRS.

I would only refer to one aspect, namely, the police administration, and I would limit my observations to only one district, Bahraich, from which I have been elected. It is on the border of Nepal. It has many problems and it is also served by the Border Security Force. But I find that beyond this Border Security Force, within the district, there is a border unsecurity force known as the U.P. Police. I will only quote a few instances.

In 1957, a Harijan girl was taken away by the Station Officer of Kaisal Ganj Police Station, kept at his place for two days and ravished. When she was released, her father made a complaint. The girl was medically examined under the orders of the District Magistrate. Immediately afterwards, the Station Officer was transferred as Reader to the Superintendent of Police. This was the last thing that the public heard of this matter.

In November, 1967, in a small town known as Jarwal, a dacoity was committed in the house of a shopkeeper, 100 yards from the Police Outpost. The Head Constable in charge of the Police Outpost was away on leave. The standing complaint against him was that he had myrmidons in league with him who used to commit crimes and he used to be away on the night of the crime. This was a known thing. He was also married in that circle, although he did not belong to that district. That particular village had a number of bad characters. The shopkeeper and his wife were killed; his two sons were badly maimed, and his daughter-in-law was also maimed; they became unconscious. A Constable came to the scene of occurrence and then went and reported the matter. When these people revived and regained consciousness, they went and told the Police that the men who were listed as witnesses were the dacoits and that some innocent persons had been implicated. But the Superintendent of Police would not listen to the complaint, and they had to leave that place because they were bounded out by the Police for saying this. They came to me, and I wrote a letter to the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police referred it to the S.P. Then these people went back to Jarwal. Later the Police raided their house, threatened them with murder and threw them out. I again reported the matter to the I.G., and the Head Constable was shifted. Today their case is going on. The persons who committed the dacoity are appearing as witnesses and innocent persons are accused in the case!

The third incident, which happened recently, was also published in the papers. The same gentleman, who had ravished that Harijan girl and had gone as Reader to the S.P., came back as Station Officer after a few months to the neighbouring Police Station, Fakharpur. There, a Muslim girl had left her husband. The girl was brought back to police custody and she was detained at the Police Station for four days. At the end of the fourth day, the girl's husband came to know that she

was at the Police Station and he, along with his father, went there to claim the girl. But the Sub-Inspector said that there would be a *'kushthi'* between the boy and the girl and if the boy wanted the girl, he should win the fight and a wrestling bout was held between the boy and the girl. We have heard of trial by battle in the 9th and the 10th Centuries in England, but the Sub-Inspecor of Fakharpur started in our own times and in our own place. The fight went on and naturally in the course of the encounter, the girl became partly undressed. Rude remarks and ribald jests were passed and the public were offended, although some of them watched in curiosity. The complaint was carried to Pandit Bhagwan Din Vaidh, an ex-M.P., who is now the Chairman of the Zila Parishad. He phoned up the S.P. and cited the witnesses, who were then examined by the S.P. The S.P. has taken no action, although Pandit Bhagwan Din Vaidh reminded him of the matter five times.

In the neighbouring district of Gonda—that is also a border State of U.P., and Gonda is represented in this House by Shri Atal Bihari Vajpayee and Shrimati Sucheta Kripalani—in Shrimati Sucheta Kripalani's constituency, something of a hair-raising character occurred which was reported in the Press. The Sub-Inspector of that area got hold of a woman and made her co-habit with her son and, thereafter, she was marched naked in the streets. It has come in the papers...

MR. SPEAKER: It was discussed here also. So, the hon. Member need not repeat it.

SHRI K. K. NAYAR: This is what is happening. Incest is held in great horror by Indians. In fact, the worst pejorative terms in Hindi are connected with the abhorrent crime of incest. But the Sub-Inspector is inuring the people to its acceptance.

If these conditions are continuing there must be a reason for that. I do not say that the heads of departments are not taking interest. But U.P. is a very big State. It has 54 districts, and its problems are many. I find that at the district level there is complete collapse. Nobody has the time to look into these things. The Chief Secretary and the IGP do not have the time to look into all these matters.

I personally feel that some kind of a change in the district administration is called for. If the officers do not listen, you must devise a machinery for expediting such matters. The Lokpal and the Lokayuktas are for the future. We do not know what shape that machinery will take. But in the meanwhile, the desparation, the feeling of futility and the sense of frustration among the people must be removed. That can be done only if the Governor devises some arrangement to have in every district some kind of authority or some committee to listen to and redress people's complaints promptly.

श्री चन्द्रिका प्रसाद (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव है, मैं उस का समर्थन करता हूं। आगरा, गोंडा और मेरठ आदि स्थानों में पुलिस से सम्बन्धित घटनाओं की सत्यता के बारे में पहले तो मुझे सन्देह, था लेकिन जब हमारे यहां बलिया में 8 अगस्त को फ़ायरिंग हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि वे समाचार भी ठीक ही होंगे। हमारे यहां की जनता की यह भावना है कि यह गोलीकांड पुलिस की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण नीति के कारण हुआ। इस लिए वह पुलिस से बहुत रुष्ट है। वहां पर कोई हिन्दू-मुस्लिम तनाव नही था। ज़िले भर के वकीलों अध्यापकों शिक्षित-अशिक्षितों, सब लोगों ने तार और चिट्ठी भेज कर यह मांग की है कि उस गोलीकांड की न्यायिक जांच की जाये, ताकि दोषी व्यक्तियों को उचित सजा मिले और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो पाये।

उत्तर प्रदेश में बीस वर्ष तक इस प्रकार की घटना नहीं हुई। इस समय भी अगर वहां पर एक पापुलर गवर्नमेंट

होती, तो वह स्थिति को सम्भाल लेती और गोली चलाने की नौबत न आती। उस गोलीकांड में एक लड़का मारा गया और 150, 175 लोग लाठी-चार्ज से घायल हुए। जो लड़का मारा गया है, उस की बेवा औरत है और एक बच्चा है। कम से कम उस को पेन्शन देनी चाहिए और घायल लोगों को कामपेन्सेट करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में हम जो मामले इस सदन में उठाते हैं, या अधिकारियों के ध्यान में लाते हैं, शासन के उच्चाधिकारियों को जन-भावना का ख़याल कर के उन मामलों की जांच करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन के बारे में कार्यवाही भी करनी चाहिए।

बलिया के टकरोली गांव में मुसलमानों को कब्र गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। गांव के सभापति ने एक जगह दी है, लेकिन कुछ गुंडों की बदमाशी की वजह से मुसलमान लोग उस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि मुसलमान अपने घरों में कब्र गाड़ रहे हैं। इस बारे में अधिकारियों को कई बार कहा गया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है।

बलिया में वेस्ट्रन रेलवे क्रासिंग का सवाल कई बार उठाया गया है। लेकिन आज तक उस के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

हमारा जिला गंगा और घाघरा के बीच में है और वहां पर एक तीसरी नदी टोंस भी है। पिछली बाढ़ में वहां पर सब स्कूल और कालेज आदि ध्वस्त हो गये थे। इस बारे में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया। जब बिहार में सूखा पड़ा था, तो भारत सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में सहायता की थी। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि अगर यू० पी० गवर्नमेंट लिखेगी, तो वह इस बारे में कार्यवाही करेगी। हम यू० पी० गवर्नमेंट को लिखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही जवाब मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी ध्वस्त हुए उन स्कूलों और कालेजों की ओर ध्यान दें।

हरिजनों के छात्रावास के बारे में भारत सरकार ने यू०पी० गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन न मालूम यू० पी० गवर्नमेंट उस के बारे में क्य कर रही है। इस तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए।

हरिजनों के आवास और उद्योग के लिए कांग्रेस सरकार बराबर सहायता दिया करती थी। लेकिन संविद सरकार के काल में उस को बन्द कर दिया गया और आज तक वह सहायता नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति तो मिल रही है, लेकिन हरिजनों के आवास और उद्योग के लिए सहायता नहीं मिल रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहीन हरिजन मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है। वे पीलीभीत आदि दूसरे जिलों में जा कर खेती करते हैं। वहां पर जंगल नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारी कहते हैं कि वह जंगल की ज़मीन है। मैं पीलीभीत के कलेक्टर से मिला, चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, गवर्नर को भी लिखा, हम ने कहा कि जब खेती कर रहे हैं, जंगल इस समय नहीं है तो कम से कम जन-भावना के लिहाज से, और जो इतनी परेशानी है उस को ख्याल कर के उन को रहने दीजिए, जब जंगल लागाएंगे तो उन को हटा दिया जयगा।

तीसरी चीज मैं यह कह रहा था कि अपने यहां उत्तर प्रदेश में कम्यूनिटी लिसेनिंग स्कीम एक थी, पापुलर गवर्नमेंट के समय से यह स्कीम थी। संविद सरकार ने इस को हटाने को सोचा लेकिन

कैबिनेट ने कोई डेसीशन नहीं लिया था इसलिए वह स्कीम चलती रही। अब आज हमारी सरकार उन लोगों को हटाने जा रही है और कुछ लोग इस से बेकार हो रहे हैं। इस पर सरकार विचार करें।

बलिया में रसड़ा सुगर फैक्ट्री की एक योजना 11 वर्ष से चल रही है। सरजू पांडेय जी ने भी इस मसले को उठाया था। बलिया के झारखंडे राय एम०पी० हैं, उन के क्षेत्र में है। आज तक उस के बारे में मालूम नहीं क्या हो रहा है। सरकार इस बारे में जल्दी निश्चय करे।

रसड़ा नोटिफाइड एरिया को जब्त करने के लिए कलेक्टर ने लिखा। कई साल हो गए। स्टेट लेवेल पर वह मामला पड़ा हुआ है। पता नहीं वह क्या कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में भी जल्दी निर्णय लिया जाय।

दूसरी एक सब से बड़ी बात जिस से हमारे यहां की जनता उद्वेलित हो उठी है, वह यह है कि दस रुपये प्रति यूनिट हार्स पावर पर बढ़ा दिया गया है। हम कहते हैं कि सरकार साधन इकट्ठे करे, हम भी उस के पक्ष में हैं कि कर लगाए जायं, साधन इकट्ठे किए जायं लेकिन इस तरह से अगर किया जायगा और इस रूप में यह रेट बढ़ाया जायगा तो इस से प्रोडक्शन रुक जायगा। इस पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए और इस चीज को रोक देना चाहिए। अगर यह लागू किया गया तो सारे जो ट्यूब वेल लोगों ने लगाएं हैं वह लोग अपने ट्यूब वेल वापस ले लेंगे। इस से खेती रुक जायगी क्योंकि सरकारी ट्यूब वेल तो आप लगा नहीं रहे हैं, लोगों ने प्राइवेट ट्यूब वेल लगाए हैं, उस पर हार्स पावर का डबल रेट हो जायगा तो कृषि का उत्पादन बहुत कम हो जायगा। इसलिए इस के ऊपर सरकार को विशेष रूप से विचार करना चाहिए

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बलिया में अभी फायरिंग जो हुई उस फायरिंग के बाद पी०ए०सी० की बटालियन वहां घूम रही है जिस की कतई कोई आवश्यकता नहीं है और जिस पर लाखों रुपया सरकार का खर्च हो रहा है मगर बाढ़ में जो लोगों के घर बरबाद हो गए हैं, खेती नष्ट हो गई है, इतना नुकसान हुआ है और यह सब हमारे अफसरों की उपेक्षा से हुआ है, वहां पर तुरतीपार–श्रीनगर एक बन्धा था, उस का रिपेयर नहीं किया गया, अगर रिपेयर हो जाता तो यह बाढ़ नहीं आती। मैंने उस के बारे में खत भी लिखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह अधिकारियों की लापरवाही उस में है। अगर वह बन्धा मरम्मत हो जाता तो बाढ़ बिलकुल नहीं आती। आज वहां पर दियासलाई, नमक और एक एक मुट्ठी चने बांट रहे हैं जब कि उन की अपनी गलती की वजह से लाखों रुपया पी०ए०सी० की बटालियन के ऊपर खर्च हो रहा है।

एक बात हिन्दी टाइपराइटर्स के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दी टाइपराइटर तो खरीद लियें गए लेकिन उन को चलाने वाले आदमी नहीं रखे जा रहे हैं। हिन्दी की प्रगति की भावना रखते हैं तो केवल हिन्दी की मशीनों से तो प्रगति हो नहीं जायेगी। मेरा यह निवेदन है कि आज जो लड़के बेकार हैं उन को हिन्दी के टाइपराइटर पर काम करने के लिए लगाया जाना चाहिए।

हमारा जिला और पूर्वी जिले स्वतंत्रता संग्राम में सब से आगें रहे हैं। यह वीर सेनानियों का जिला रहा है। सरकार की ओर से पहले उन को पेंशन मिलती थी और शादी ब्याह के लिए रुपया मिल

[श्री चद्रिका प्रसाद]

जाता था, कांग्रेस सरकार थी तो दिया करती थी। लेकिन वह अब नहीं मिलता है। सरकार इस के ऊपर भी विचार करे और उन को मदद् मिल सके, इस की व्यवस्था करे।

अब मैं भारत सरकार से आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से पिछड़ा हुआ है, यह हमारे गवर्नर साहब की जो स्पीच हम लोगों को बांटी गई है, उस में दिखलाने की कोशिश की गई है। मैं गवर्नर साहब की तारीफ करता हूं कि उन बेचारों ने आ कर के प्रदेश का यह भला किया है कि 18 वर्षों में हमारी जो उपेक्षा की गई वह उन्होंने बताया है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी शिक्षा की हालत है, जो हमारे अस्पतालों की हालत है, जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा है, उस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात जो सब से अधिक महत्व की है वह यह है कि बेकारी की समस्या बड़े भयंकर रूप में हमारे सामने खड़ी है। हम तो एम०पी० हो गए, 31 रुपया रोज पाते हैं, 500 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन वह बेचारे जिन के पास रोजी का कोई साधन नहीं है, कितने परेशान होंगे, इस का अन्दाजा आप लगा सकते हैं। रोज 20–25 खत मेरे पास उन बेकार लड़कों के, नौकरी के लिए आते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन बेकारों का क्या हश्र होगा? सारे देश की 25 परसेंट बेकारी हमारे उत्तर प्रदेश में है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और इस का हल निकालने की कोशिश करें।

श्री जगेश्वर यादव (बांदा): अध्यक्ष महोदय, जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के प्रशासन अधिकारियों में और अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है। अब इस का हम को यह पता नहीं चलता कि उन के दिमाग में यह भ्रष्टाचार और अधिक मात्रा में क्यों बढ़ गया? या तो वह यह महसूस करते हैं कि 20 साल के प्रशासन में अधिकतर सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी उस प्रशासन में अधिक हैं इसलिए उन का भय दूर हो गया है कि जो संसद या प्रान्त की विधान सभा है उन में हमारे आदमी बैठे हुए हैं और हम से जो कुछ गलती होगी उस में हमें वह बचा लेंगे। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से प्रशासन अधिकारियों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है। कहां तक कहा जाय चाहे इंजीनियरिंग विभाग में देख लिया जाय, चाहे पुलिस विभाग में देख लिया जाय और चाहे माल विभाग में देख लिया जाय, हर जगह भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। हम देखते थे पहले कि गांवों में लेखपाल के ही अन्दर यह भ्रष्टाचार था। फिर बढ़ते बढ़ते कानूनगो, तहसीलदार के पास आया और जब से यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से जिला मैजिस्ट्रेटों के दिमाग में भी यह कीड़ा पहुंच गया है। जितनी भी उत्तर प्रदेश की गांव समाज की जमीन थी, टाउन एरिया की जमीन थी, म्युनिसिपैल्टियों की जमीन थी उन में बुद्धिजीवी आदमियों से मुकदमे दायर करा दिए जाते हैं और 229(बी) जमीदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा के मुताबिक वह सब अपने इजलास से उस जमीन को सेहत करते चले जा रहे हैं और काफी रुपया बना रहे हैं।

इसी तरह से न्याय विभाग में हम देखते हैं कि वहां एक एक अन्डर ट्रायल के मुकदमे चार चार साल से पड़े हुए हैं और जो आदमी अपनी जमानत नहीं दे सकता वह जेल में सड़ रहा है और

चार चार साल से बिना सजा के सजा भुगत रहा है। मैजिस्ट्रेट लोग कोई परवाह नहीं करते। यहां तक मैं ने देखा, अभी जून के महीने में मैं एक जमीन आन्दोलन में बन्द था तो वहां देखा कि एक कैदी जिस का कि अभी मुकदमा चलाया नहीं गया, चार साल से परेशान हो कर एक दिन वह पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान देने के लिए, मरनें के लिए उद्यत हो गया। यही न्याय विभाग का हाल है। वहां भी कुछ बड़े-बड़े मामलों में डकैतियों में और कत्लों में ऐसा हम को आभास होता है कि काफी पैसा बनाया जाता है। वह क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन के ऊपर कोई अंकुश कड़ा नहीं है। वह ऐसा महसूस करते हैं कि इस बीस साल के प्रशासन में उन को कांग्रेस गवर्नमेंट की थाह मिल गई है। हरएक जगह उन के आदमी बैठे हुए हैं और उन के अन्दर से डर हट गया है। वह अपनें निजी फायदे के लिए यह सब करते हैं। न उन में कोई राष्ट्रीयता है न कांग्रेस की उन में कोई भक्ति है। वह तो एक अपनें फायदे में लगे हुए हैं। न तो आई० जी० का हुक्म एस० पी०मानता है और न एस०पी० का हुकुम थानेदार मानता है। न थानेदार का हुकुम दीवान और राइटर मानते हैं। सब जो जहां हैं अपने फायदे हाथ पांव मार रहे हैं। और इस तरह से हमारे शासन की जड़ को खोखला कर रहे हैं। और वह इस-लिए यह कर रहे हैं कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे दिमाग में यह हो गया है कि यह तो दूर हो ही नहीं सकता है। हम उस को असम्भव मानते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम 523 आदमी यहां बैठे हुए हैं, हर बात को जानते हैं कहां क्या होता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनता के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई उस की सुनवाई नहीं होती और आज भी एक कलेक्टर को कोई दो-चार थप्पड़ मार दे तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे मंत्री जी पता लगा लेंगे लेकिन कोई थानेदार किसी को मार डालता है तो उस का कोई पता ही नहीं चलता है और न कोई उस की सुनवाई होती है। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वह बहुत ढीला हो गया है और मैं चाहता हूं हम को इस समय यह करना चाहिए कि जब इतनी बेकारी फैली हुई है और प्रशासन में इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति भरे हुए हैं तो हम हर जिले में कुछ कोटा बना लें कि उन भ्रष्ट व्यक्तियों को निकालें और उन की जगह में दूसरे भरें तो इस से सुधार हो सकता है।

उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है जमुना का, जिसमें झांसी डिवीजन पड़ता है, जैसे जालौन, हम्मीरपुर, बांदा —इस डिवीजन का बिलकुल डवेलपमेन्ट नहीं हुआ है। इस में पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सी नदियां वहां से निकली हैं, जिन पर बांध बनाये जा सकते हैं और वहां से नहरें निकाली जा सकती है, जिससे सारे प्रदेश को पानी मिल सकता है। जब मैं अपनें जिले में जाता हूं तो देखता हूं—जब कि आज देश के हर जिले का डवेलपमेन्ट हो रहा है, ट्यूब-वेल, बिजली और दूसरे साधन किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं, लेकिन हमारे जिले का बिलकुल डवेलपमेन्ट नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में तो महीनों अपने घर नहीं पहुंच सकता हूं क्योंकि तमाम नदियां चढ़ जाती हैं, न वहां पर पुल हैं और न सड़के हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस डिवीजन की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय।

[श्री जगेश्वर यादव]

पुराने जमाने से हमारे यहां की एक रेलवे लाइन का मामला पड़ा हुआ है– ललितपुर से खजुराहो होते हुए, अजयगढ़ होते हुए, बांदा जिले में से होते हुए, मानकपुर के आगे बडगढ़ स्टेशन पर वह लाइन मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की इस लाइन को यदि मिला दिया जाय तो हमारे इस डिवीजन का बहुत भला हो सकता है। बहुत सी बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि पुल बनवाये जाय। कुछ सड़कें ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में हैं, जिन पर कभी मिट्टी नहीं पड़ती, मैं चाहता हूं कि उन को पी०डब्लू०डी० के अण्डर लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिये और न बढ़ाया जाय, जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराये जाय ताकि जनता की सरकार बनें और यह जो प्रशासनिक अधिकारियों के अन्दर आजादी आ गई है वह दूर हो जाय।

श्री गयूरअली खां (कैराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर प्रदेश रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज और हर तरीके से हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में ऐसे-ऐसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने सन 1857 में जंगे-आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिहोंने जंगे-आजादी में काफ़ी मेहनत और कोशिश कर के और लड़कर हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई। श्रीमन्, इस प्रदेश ने तीन प्रधान मंत्री पैदा किये, बड़े-बड़े लीडर और काबिल हस्तियां पैदा कीं, राम प्रसाद बिस्मिल, रौशन सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, अशफ़ाकउल्ला खां जैसे सर-फरोश और जां-बाज पैदा किये जो वतन की आजादी की खातिर हंसते-हंसते फांसी के तख्तों पर चढ़ गये। उस प्रदेश की आज ऐसी हालत है —21 साल हुए हमारा देश आजाद हुआ था, इस अर्से में कांग्रेस का शासन कायम रहा—लेकिन कांग्रेस में ऐसी गुटबन्दी थी, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश पिछड़ा रह गया और तरक्की न कर सका। आठ-दस महीनों के लिये संयुक्त विधायक दल की सरकार कायम हुई थी, इस सरकार ने जो कुछ किया उस पर मैं आगे चल कर रौशनी डालूंगा– लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सैन्टर की सरकार को हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार को कायम होना बरदाश्त न हो सका और उस ने ऐसी चालें चलीं जिस की वजह से संयुक्त विधायक दल के चीफ़ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा। श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था संयुक्त विधायक दल से.....

अध्यक्ष महोदय : आप को पांच मिनट मिले हैं आप कुछ यू० पी० के बारे में कहें।

श्री गयूरअली खां : जी हां, मैं मसले पर आ रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि उन के इस्तीफे के बाद उन्होंने साफ तौर से यह एलान किया था कि संयुक्त विधायक दल अगर कोई दूसरा चीफ़ मिनिस्टर पसन्द करे तो हम उस के लिये बिलकुल तैयार हैं। लेकिन हमारे यू०पी० के राज्यपाल ने उन को मौका नहीं दिया, बल्कि किसी भी पार्टी या पार्टियों को यह मौका नहीं दिया कि वे चीफ़ मिनिस्टर का चुनाव कर सकें और वहां पर प्रजातन्त्र की सरकार कायम कर सकें। इस के नतीजें यह हुए कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन हुआ। इस राष्ट्रपति के शासन को 6 महीने की मुद्दत दी गई थी, लेकिन अफसोस है कि शुक्ला जी आज फिर उस मुद्दत को बढ़ाने का रेज़ोल्यूशन लाये हैं। इस शासन की यह हालत है कि वहां बद-

इन्तजामी, रिश्वतखोरी, करप्शन, लूटमार और नौकरशाही का बोलबाला है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने वहां की ला एण्ड आर्डर सिचुएशन की तसवीर पेश करना चाहता हूं। अभी कल ही एक काल-एटेन्शन मोशन यहां पर पेश हुआ था, जिसमें जिला गोण्डा की एक औरत के साथ जो मुज़ालिम पुलिस ने किये हैं, जिस कदर उसकी बेइज्जती की है, उस से हमारा सिर नदामत से झुक जाता है। हमारे आज के हिन्दुस्तान में जब ऐसी चीजें होने लगें, तो फिर इस का क्या ठिकाना रहेगा।

जिला आगरा में कुछ लोगों ने अनशन कर रखा था। हमारी पार्टी के प्रधान वहां तशरीफ़ ले गये और उन्होंने उन लोगों को आमादा किया कि वे अपना अनशन वापस ले लें। उन लोगों के साथ यह जुल्म हुआ कि कुछ आदमियों पर पुलिस कुर्क़ी कराने के लिए आई थी, उन के साथ कुछ कहन-सुनन हो गई, इस पर पुलिस ने उन के तमाम माल को लूट लिया, उन का सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, रूपया लूट लिया, गल्ला लूट लिया, उन के मकानात की कड़ियां तक उतार लीं, छतें मोड़ दीं। यह बड़े शर्म की बात है कि जो लोग अदालत में हाज़िर हो गये थे उन के मकानात को भी लूट लिया और उसी तरह का जुल्म उन के साथ किया गया जो हाज़िर नहीं हुए थे।

इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का इस सरकार का सिर्फ यह मकसद है, कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि उस को कुछ और मौका मिल जाय ताकि वह वहां पर मजबूत हो सके, अपने अधिकारियों के जरिये से, ताकि उस को फिर वहां पर हुकूमत करने का, यू०पी० गवर्नमेन्ट पर कब्जा करने का मौका मिल सके। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी और इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं—यह ख्वाब कभी ताबीर नहीं होगा। हमारे यहां फारसी में एक मुहावरा है—'ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूं'। आप अपने दिल से यह ख्याल निकाल दीजिये, चूंकि आपने जो कुछ 20 साल में नहीं किया था, वह 8 या 10 महीने में हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार ने वहां पर कर के दिखला दिया। मान्यवर, हमारी पानी की समस्या को ही लीजिये, उन्होंनें बिजली के इतने कनैक्शन उस अर्से में दियें जितनें 20 साल में भी कांग्रेस सरकार नहीं दे सकी थी।

मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस के मुज़ालिम को रोका जाय। आज पुलिस की यह हालत है कि अगर कोई शख्स फरियाद लेकर किसी थाने में जाता है तो उस को गालियां और थप्पड़ खाकर वापस आना पड़ता है। पुलिस वाले उस की कोई रिपोर्ट नहीं लिखते, उस को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में जरायम की तादाद घटी है, लेकिन यह बात नहीं है। जब जरायम का इन्दराज ही नहीं किया जाता, थाने में इत्तिला देने वाले को धक्के दिये जाते हैं, उन को निकाल दिया जाता है तो अपने आप जरायम की तादाद कम होगी।

जहां तक उत्तर प्रदेश में ज़मीनों का मसला है हरिजनों को इस 20 साल में ज़मीनों से बिलकुल वंचित रखा गया। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि मैं वहां पर राष्ट्रपति का शासन बढ़ाये जाने की सख्त मुखालिफ़त करता हूं और चाहता हूं कि सितम्बर-अक्तूबर में वहां पर मिड-टर्म इलैक्शन्ज करवाये जांए ताकि वहां पर

[श्री गयूरअली खां]

एक मजबूत सरकार कायम हो सके, जनता की प्रतिनिधि हुकूमत कायम हो सके।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह-मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई जाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि हमारे यहां फरवरी में चुनाव हो इसलिए सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मसले पर, देश की सर्वोच्च संस्था इस संसद् में विचार किया जा रहा है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात कि है उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता आज सबसे गरीब और पिछड़ी हुई है, आजादी के बाद बीस वर्ष बीत जाने के बाद भी, इसलिए मैं चाहता हूं संसद् का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है कि इतना बड़ा प्रदेश इस प्रकार से पिछड़ा रह गया, वहां का प्रशासन इतना अदूरदर्शी हो गया, शिथिल हो गया, जनता की समस्याओं के प्रति । यह सारे देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश आज इस स्थिति में है। सन 1950–51 में सन 1948–49 की कीमत के स्तर पर, उत्तर प्रदेश की फी कस आमदनी 259.62 रुपये थी जबकि सारे देश की औसत आमदनी उस समय 247.50 रुपये थी। इस प्रकार उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी देश में सबसे अधिक थी। लेकिन नियोजित अर्थ-व्यवस्था के बाद जब सारा देश आगे गया है और लेटेस्ट आंकड़े जो मिले हैं उसके अनुसार 1967–68 में सारे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 313.10 रु० है जबकि उत्तर प्रदेश की 227.60 है। जो प्रगति की धुरी है उसे उलट दिया गया है। बीस साल में योजनाओं के बाद जब देश को आगे बढ़ना था उस समय इतने बड़े प्रदेश की यह स्थिति हो तो यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि सारे देश के लिए। हमारे रंगा जी ने आपत्ति की कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों इतना मोह दिखा रही है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता कि वे वस्तुतः इन आंकड़ों को देखें। आपने आंकड़े दिए कि सारे देश में 8 लाख ट्यूबवेल एनर्जाइज्ड हैं। उनमें से चार लाख मद्रास में हैं, पौने दो लाख महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में—जबकि वहां की जनसंख्या वहां से तीन चार गुनी है—43 हजार हैं। जब इतने बड़े प्रदेश की स्थिति यह होगी, वहां की जनता की इस प्रकार से उपेक्षा होगी तो फिर सारा देश ही पीछे रहेगा। इसलिए जो सिद्धान्त हमने माना है कि देश के हर भाग का संतुलित विकास होना चाहिए जब तक उसी के अनुरूप हम नहीं चलेंगें तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।

जहां तक किसानों की बात है, हमारे रंगा जी किसानों के नेता हैं, मैं समझता हूं कि अगर सारे देश को आगे बढ़ना है तो जो 80 प्रतिशत लोग हमारे देश में खेती करते हैं जब तक उनकी स्थिति नहीं बदलेगी तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। पहले की स्थिति में हम यह समझते थे कि हमारा भविष्य अंधकार में है लेकिन जब हमारे यहां फसल अच्छी हुई तो हमें प्रकाश मिला है और यह साबित हो गया है कि अगर हम किसानों की ओर नहीं देखते हैं, उनकी समस्याओं को हल नहीं करते हैं, गांवों की ओर अपनी दृष्टि नहीं ले जातें हैं तो देश आगे बढ़ने वाला नहीं

है। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन वह सिंचाई के मामले में शून्य है। सारे देश में जितनी बेकारी है उसका 21–22 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। सारे देश में हरिजन और पिछड़े हुए समाज के 80 प्रतिशत लोगों में से उत्तर प्रदेश में 26 फीसदी है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। गांवों के अन्दर एक तरीके से 10–12 फीसदी लोगों की स्थिति सुधरी है लेकिन 80 फीसदी से अधिक अब भी पिछड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की यह वास्तविकता है जिस पर सारे देश को सोचना है। मैं किसी भी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, सरकारी कर्मचारीयों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया, दूरदर्शिता नहीं दिखलाई, सही आर्थिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसका नतीजा यह हुआ कि आज प्रदेश सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है।

कांग्रेस को गाली दी गई, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इस देश के अन्दर बहुत सी बातों की बुनियाद भी डाली है। हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस ने इस देश के अन्दर जनतन्त्र की बुनियाद डाली, प्लानिंग की बुनियाद डाली और पिछले बीस वर्षों में देश को प्रगति के रास्ते पर रखा। यह ठीक है कि कांग्रेस से जनता नाराज थी, वह तेजी से प्रगति चाहती थी, उसने चुनाव में कांग्रेस को हटाया लेकिन विरोधी दल वाले मिलकर जो विकल्प पेश करते हैं, क्या उससे इस देश का कल्याण होगा? चुनाव में जब जनता ने कांग्रेस को परास्त किया था तो सबसे पहले हमारे प्रधान मन्त्री ने उसका स्वागत किया था और यह कहा था कि जनता ने जनतांत्रिक तरीके से अपना मत व्यक्त किया है। रंगाजी कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार बनाओ। मैं पूछना चाहता कि बंगाल में कांग्रेस को छोड़कर 14 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, वहां पर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सात विरोधी दलों ने मिलकर सरकार बनाई, वहां क्या हुआ? 8 महीने का शासन भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के सारे राज्य कर्मचारी जोकि पहले कांग्रेस से नाराज थे, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया लेकिन एस०वी०डी० सरकार ने उन्हीं राज्य कर्मचारियों को निकाला और उनको डिमारेलाइज़ किया। उस सरकार ने उन कर्मचारियों को कोई काम नहीं करने दिया। एक-एक फाइल पर सात-सात पार्टी के लोग सवार रहते थे। यहां पर किसानों की बात तो की जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसानों पर ही हमला करके बिजली के रेट को बढ़ाया गया, किसानों की सुविधाओं को छीना। सबसे पहला नश्तर हरिजनों के बच्चों पर चलाया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। लेकिन रंगाजी ने जो नारा दिया है कि राष्ट्रीय सरकार बनाओ, वह बड़ा खतरनाक और प्रतिक्रियावादी नारा है। खाली एक साथ बैठ कर ही समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, उसके पीछे एक राजनीतिक फिलास्फी का भी होना आवश्यक है। उसके पीछे एक राजनीतिक दर्शन, विचारधारा और एक कार्यक्रम भी होना चाहिए। सारे दल आपस में मिलकर वह चीज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना एक कार्यक्रम है, अपनी एक विचारधारा है और उसी के अन्तर्गत वह इस देश को आगे बढ़ा रही है। तो इस प्रकार के नारों से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है।

तो मैं समझता हूं कि आज जो वहां की स्थिति है उस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और प्रदेश के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अन्दर जो शिथिलता आ गई है उसको दूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता बल्कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उस पर मेरा चार्ज है कि उसने कभी भी अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में अच्छा केस बनाकर नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगने थे तो महाराष्ट्र की सरकार आ गई कि हमारे यहां बिजली उपलब्ध है, जमीन हम आपको देते हैं, वर्कर्स हम आपको देते हैं, यातायात के साधन मौजूद हैं, सारी सुविधायें हम आपको देते हैं जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार खाली यही कहती रही कि हमारी आबादी बड़ी है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए हमको यह प्रोजेक्ट दिया जाए। अच्छा केस बनाकर पेश न करना, यह उस उत्तर प्रदेश शासन की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और इसीलिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी उपेक्षा होती रही। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब वहां पर राष्ट्रपति शासन है, जनता की चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं है, गवर्नर साहब जोकि केन्द्रीय सरकार के वहां पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने प्लानिंग से सम्बन्धित एक हाई पावर कमीशन बनाया जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं को रखा। उन्होंने इस बात का प्रयास किया, राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत, कि सारी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो। वे हर पार्टी के टाप लीडर का मत ले रहे हैं कि किस प्रकार से योजना बनानी है। उन्होंने नौकर-शाही के ऊपर ही इस बात को नहीं छोड़ दिया है। गवर्नर साहब ने इस बात का प्रयास किया है कि ऐसी कमेटियां बनें जिनमें सभी दलों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सके। हमारे गृह-मन्त्री महोदय ने नैनीताल के अन्दर सभी को दावत दी कि आइये, बैठिए और सुझाव दीजिए और समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने तत्काल कार्यवाही की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में जो पटेल कमीशन की रिपोर्ट है वह मेरे पास है लेकिन उसको पढ़ने का समय नहीं है। सन् 1964 में इसी सदन के अन्दर प० जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि वह पूर्वी प्रदेश सब से गरीब है, सारे देश की औसत आय का वहां पर केवल 33 प्रतिशत है, तो इन सिफारिशों को वहां पर लागू किया जाए। वहां पर यातायात की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव दिए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार पब्लिक सेक्टर में जितने बड़े कारखाने खोलती है, यातायात की व्यवस्था करती है, वह सब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए किया जाए।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव आया है उसे यह सदन पास करेगा और 6 महीने की अवधि में प्रदेश मजबूती के साथ आगे उन्नति कर सकेगा।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, यूं तो हमारे सारे देश का शासन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षरों और उन के नाम से चलता है परन्तु देश की जनता को राष्ट्रपति का परिचय कभी-कभी दो तरीकों पर मिलता है। किन्हीं लोगों को राष्ट्रपति किन्हीं विशेष मौकों पर कुछ इनाम दिया करते हैं। कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिनको अदालतें फांसी की सजा दे देती हैं और वह लोग राष्ट्रपति जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उन से क्षमा की याचना करते हैं, उन से अपने प्राणों की भीख मांगते

हैं। उन के ऊपर राष्ट्रपति जी रिआयत किया करते हैं। उन के ऊपर राष्ट्रपति जी दया किया करते हैं और वह उन का प्राणदंड क्षमा कर देते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का जो शासन हुआ है और राष्ट्रपति जी ने वहां की जनता को जो इनाम दिया, जनता को जो सजाएं दीं अगर उन का लेखाजोखा देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी इनाम देने के लिए नहीं हैं, सजाएं माफ़ करने के किए नहीं है बल्कि बड़े तौर पर पब्लिक को सज़ा देने के लिए हैं।

सब से पहली सज़ा जो राष्ट्रपति जी के राज्य में हमारे देश के किसानों को मिली है अगर आप किसान बन कर सोचें तो आप को पता लग जायगा कि उन्हें क्या सज़ा मिली है। अब की दफ़ा सरकार ने गेहूं प्रोक्योर किया। यहां शिन्दे साहब बैठे हैं और वह मंडियों में जाकर खयं देख आयें कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है या नहीं। एक-एक इंस्पैक्टर ने एक महीने में दो-दो लाख रुपया खाया है। होता यह था कि मंडियों में किसान अनाज ले जाते थे। सरकार ने भाव तय किया कि किसानों से उन का गेहूं 76 रुपये से लेकर 81 रुपये प्रति किंटल तक लिया जायगा। लेकिन वास्तविकता यह रही कि किसान का अनाज 62-65 रुपये के हिसाब से लिया जाता था और मंडी के दलाल और सरकारी इंस्पैक्टर मिल कर उसी अनाज को सरकार को 81 रुपये देते थे और वह बीच का 18–19 रुपया व्यापारियों और उन सरकारी इंस्पैक्टरों की जेब में चला जाता था। इसलिए एक तो यह करोड़ों रुपयों की सज़ा राष्ट्रपति जी के शासन में किसानों को सब से पहले मिली। और दूसरी सज़ा यह मिली जैसा कि यहां करीब-करीब सभी वक्ताओं ने बतलाया कि राष्ट्रपति के शासन में यह हुआ कि बिजली का रेट जो किसानों को 12 पैसे यूनिट बतलाया जाता है और केन्द्रीय सरकार का यह वायदा है कि सारे देश में अगर कहीं भी बिजली का रेट 12 पैसे से ज्यादा होगा तो केन्द्रीय सरकार उस को सबसिडी देगी और उसे 12 पैसे ज्यादा नहीं होने देगी। लेकिन राष्ट्रपति के शासन में हमारे राज्यपाल ने यह आर्डर कर दिया कि अब जो किसानों को बिजली की दर देनी पड़ेगी वह 23 पैसे देनी पड़ेगी यानी दर करीब-करीब दुगनी हो गयी। जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो टैक्स बढ़ाने के पीछे दो ही बातें रहती हैं यानी या तो आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को बिलकुल लें नहीं और इसलिए उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है या बहुत मालदार लोग अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं तब सरकार कहती है कि चूंकि ये मालदार लोग 10 रुपये की बजाय 15 रुपये की खर्च कर सकते हैं इसलिए इस पर टैक्स बढ़ा दो।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उस ने यह टैक्स इसलिए बढ़ाया है जैसा कि यादव जी ने पहले बतलाया कि हमारे इतने बडे उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 43,000 ट्यूबवैल बन पाये हैं और टैक्स को बढ़ा कर सरकार क्या यह चाहती है कि यह जो थोड़े बहुत ट्यूबवैल्स बने हैं वह भी समाप्त हो जायं और सूख जायं। मैं सीधा सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और अभी पहले मैं ने वित्त मंत्री जी से भी प्रश्न किया था लेकिन उस का उन्होंने कोई ठीक जवाब नहीं दिया। यहां उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरान जोकि बैठे हुए हैं उन से पूछ कर जवाब दें कि क्यों

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

उन्होंने यह रेट 12 पैसे से बढ़ा कर 23 पैसे नहीं किया है ? इतनी बड़ी नीति बदली गई है जोकि राष्ट्रपति के शासन में आमतौर से नहीं बदली जाती है।

संविद सरकार ने एक पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन सम्बन्धी आर्डिनैंस राज्यपाल से जारी कराया था और वह आर्डिनैंस यह था कि जो राजनीतिक व्यक्ति, या मंत्री अदि जो भी हों, उन की जांच इस कमिशन द्वारा हुआ करे। उस में और किसी को अधिकार नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट के अधीन उसे काम करना था। हाईकोर्ट को इस कमिशन को मुकर्रर करना था। लेकिन इस पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन आर्डिनैंस को विदड्रा कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या घबड़ाहट पैदा हुई जो उसे वापिस ले लिया उस कमिशन को हाई कोर्ट के अधीन काम करना था और चाहे जिस पार्टी की सरकार हो और चाहे जो मुख्य मंत्री या मंत्री हो जिसके विरुद्ध भी आरोप होंगे निष्पक्ष रूप से वह कमिशन हाईकोर्ट के अधीन रह कर उन की जांच करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन आर्डिनैंस को सरकार ने क्यों वापिस ले लिया ?

मैं बतलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस होते थे और उन के लिए समझा जाता है कि वह बड़े सख्त आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी के समय में उन को 200 केस दिये गये। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उन को कई चिट्ठी लिखीं कि यह 200 केस 2 महीने से लेकर 16 महीने तक के पुराने पेंडिंग केस हैं वह इन की जांच करें। जब संविद की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उस ने आर्डर दिया कि वह सुचेता कृपालानी जी के द्वारा सौंपे गये उन 200 केसों को देखें और उन के बारे में डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस तहकीकात करें। उस के बाद संविद सरकार टूट गई और वहां पर राष्ट्रपति शासन क़ायम हो गया। उस ने यह आर्डिनैंस भी वापिस ले लिया और उस डाइरैक्टर आफ विजिलैंस को रिवर्ट करके दूसरी जगह भेज दिया। जो डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे उन को उलटे सजा दी गई और उन को वहां से हटा दिया गया और दूसरी जगह भेज दिया गया।

एक तीसरी सजा वहां के लोगों को और दी गई। मेरा सम्बन्ध संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन से बहुत है और अनेक संस्कृत सस्थाओं से मेरा सम्बन्ध रहा है। पिछले सैकड़ों वर्षों से संस्कृत की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र संगठन रहा है। संस्कृत के प्रधान निरीक्षक का कर्यालय स्वतंत्र रूप से काम करता था। अब राष्ट्रपति के शासन में यह किया गया है कि वह संस्कृत के निरीक्षक का कार्यालय एजुकेशन डाइरैक्टर के कार्यालय में मिला दिया गया है। और अब यह अंग्रेजी पढ़े लिखे साहब लोग जोकि इंटरमीजिएड और हाईस्कूलों का प्रबन्ध करते हैं वही संस्कृत संस्थाओं का भी प्रबन्ध आदि करेंगे। जैसे कि बहट डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टरों के क्लर्क 100–100 और 200–200 रुपया कालिज के प्रिंसिपलों से ऐड दिलाने या बढ़ाने के लिए लेते हैं, उस के लिए उन से घी के कनस्तर मंगाते हैं ; अब वह कल्र्क लोग हम से भी पैसा मांगेंगे।

यहां पर नौकरशाही के रवैये का बहुत जिक्र किया गया है। नौकरशाही बहुत खुल कर खेल रही है और वह बिलकुल भी किसी की पर्वाह नहीं करती है। मैं इस का निजी अनुभव बतलाना

चाहता हूं। दो महीने में मैं ने दो चिट्ठियां परिवहन आयुक्त को लिखीं लेकिन उन्होंने उन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने 19 जुलाई को गवर्नर को एक पत्र लिखा। मुझे गवर्नर महोदय से यह उत्तर मिला कि "प्रिय रघुवीर सिंह, आप का 9 जुलाई का पत्र मिला। खेद है कि आप के पत्रों का उत्तर नहीं मिला।" इस के बाद और कुछ नहीं लिखा गया। यह मैंने आप को उदाहरण देकर बतलाया कि किस तरिक़े से नौकरशाही लापरवाही बरत रही है और वह एम० पीज० तक के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। मुझे यहां सैंटर के भी एक-दो मिनिस्टर्स ने बतलाया है कि उन की भी जो चिट्ठियां वहां जाती हैं उन का भी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जवाब नहीं देती है। इस से आप को प्रकट हो जायगा कि किस तरिक़े से नौकरशाही वहां पर खुल कर खेल रही है?

यादव जी ने उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के समय की कुछ बातों की यहां पर आलोचना की थी। मैं उन की उन बातों का जवाब देना चाहता था लेकिन शायद आप मुझे समय नहीं दे सकेंगे। मैं उन में पड़ना भी नहीं चाहता लेकिन पिछले साल किसानों को संविद सरकार का यह बड़ा लाभ हुआ कि किसानों के गन्ने पर, किसानों के कोल्हुओं पर, गुड़ पर सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं लगाई। किसानों को उन की उपज का जितना दाम न्यायपूर्वक मिलने का अधिकार था वह उन्हें मिला। उस से किसानों की समृध्दि बढ़ी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि अगला सीज़न फिर आ रहा है, किसान आज डरा हुआ है और वह आशंकित है कि कहीं राष्ट्रपति शासन फिर हमारे ऊपर एक नई सज़ा न आयद कर दे और फिर हमारे गन्ने पर पाबन्दी न लगा दे और जबरदस्ती मिलों को हम से सारा गन्ना न दिलवा दिया जाय। मैं आशा करता हूं पिछली दफ़े किसानों को जो छूट दी गई थी उस छूट को क़ायम रक्खा जायेगा।

इसी के साथ एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने किसानों ने अपने यहां बिजली के कुंओं के लिए पावर लगा रक्खी है उन को अपने क्रशर्स पावर से चलाने की इजाज़त दी जाय। जिस किसान के पास ट्रैक्टर हो, जिस किसान के पास बिजली का कुंआं हो आप उस से आशा करें कि वह अपने कोल्हू बैल से चलाये तो यह कैसे हो सकता है? जब खेती के क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है तो किसान के पास जो यंत्र आदि मौजूद हैं उन से उसे लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को राष्ट्रपति शासन के समय इस बात की छूट दे दी जायगी कि वह अपने क्रशर्स अगर अपनी पावर से चलाना चाहें, पावर से अपना गन्ना पेरना चाहें तो इस के लिए उन को इजाज़त मिलेगी।

पूर्वी जिलों की आर्थिक अवस्था पश्चिमी जिलों की अपेक्षा बहुत शोचनीय है और मेरी समझ में पूर्वी जिलों के किसानों की हालत बेहतर बनाने का एक ही इलाज है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। पूर्वी जिलों को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से अलग कर के रक्खा जाय। मेरी समझ में इस के अलावा और कोई चारा नहीं है कि उन की दो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयां बना दी जायं जिससे कि वहां के डेवलपमैंट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत न रहे।

श्री शारदा नन्द (सीतापुर): अध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे बोलने का

[श्री शारदा नन्द]

समय दिया है उस के लिए मैं आप का आभार प्रकट करता हूं। आज जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की मांग की जा रही है तो मैं उस का विरोध करते हुए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन नहीं बढ़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यह राष्ट्रपति का शासन वहां पर समाप्त होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? कारण यह है कि अगर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि आज कृषकों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस के अलावा किसानों को जो बिजली का रेट देने के बारे में चर्चा हुई है और उस रेट के बारे में मैं ने भी पंत जी से जबकि वह अपना जवाबी भाषण कर रहे थे इस बिजली की दर के बारे मैं उन से स्पष्टीकरण मांग था कि यह बिजली की दर जोकि उत्तरप्रदेश में बढ़ाई जा रही है उस के सम्बन्ध में आप का क्या कहना है। डा० के० एल० राव ने प्रश्न सं 661 के उत्तर में बतलाया था कि 12 पैसे पर यूनिट दर होनी चाहिये। और अगर इस से ज्यादा दर होगी तो सरकार सब्सिडी देगी। बिहार में 18 पैसे है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बढ़ा कर जो दर कर दी है उस से वह 24 पैसे हो जायेगी।

किसानों के लिये उत्तर प्रदेश में एक केन यूनियन है। उस ने और सरकार ने मिल कर एक योजना बनाई थी कि जितनी सड़के सी० सी० ट्रैक्ट की होंगी वह बनाई जायेंगी। दस सालों में अगर उन की लम्बाई छः मील थी तो वह 4 मील बना कर छोड़ दी गई है। उन का सारा पैसा पी० डब्ल्यू० डी० के पास जमा था। पी० डब्ल्यू डी० ने उन सड़कों की इस तरह से अवहेलना की है जब कि उन को दो सालों के अन्दर बनाना चाहिये था। यह सड़कें तो अनेक वर्षों के बाद बनी जब कि मजदूरी का खर्च बढ़ गया है। अब कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि वह गवर्नर महोदय से कहे कि इस प्रकार की जो सड़कें सी० सी० ट्रैक अधूरी बनी हैं उन को पूरा किया जाये ताकि किसानों को राहत दी जा सके।

इसी सदन के अन्दर उद्योग मंत्री ने कहा था एक प्रश्न के उत्तर में कि उत्तर प्रदेश में छोटे ट्रैक्टर का कारखाना लगाने की बात चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस छोटे ट्रैक्टरों के कारखाने का क्या हुआ? आज केन्द्रीय सरकार ने अपनी नीति बनाई है कि जो बड़े बड़े हार्स पावर के ट्रैक्टर है उन को बनाने के लिये 6-7 लाइसेंस दे दिये हैं, लेकिन जिन छोटे ट्रैक्टरों की ज्यादा मांग है उन को बनाने के लिये उस ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में इस के लिये एक कारखाना खोला जाये।

अब आप देखिये कि गवर्नर के शासन के समय में शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे साथ क्या क्या अन्याय किया गया है। सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भाषा जो हिन्दी है उस को धीरे धीरे गवर्नर के राज्य में वहां के अफसर हटाना चाहते हैं और अंग्रेजी फिर से थोपना चाहते हैं शिक्षा के सम्बन्ध में जो संविद सरकार थी उस ने एक योजना बनाई थी। लेकिन आज देहातों में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उन के अध्यापक पिस रहे हैं। वे किस तरह से पिस रहे हैं यह मैं बतलाना चाहता हूं। आज हर जगह

में कांग्रेस के लिये लाखों रुपया चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, और उस को प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। जब गवर्नर महोदय के पास इस की शिकायत की गई तो उस का उत्तर आज तक नहीं दिया गया और न कोई जांच कराई गई है। आज वहां पर हर एक जिला परिषद् के जो अध्यक्ष हैं वह ज्यादातर कांग्रेस के लोग हैं और उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के हर एक अध्यापक से 10 रु० और हेड मास्टर से 25 रु० वसूल करना शुरु कर दिया है। इस तरह से एक एक जिले से 80 या 90 हजार रु० कांग्रेस के लिये चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस से अध्यापक पिस रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस की तुरन्त खुफिया पुलिस से जांच कराई जाय।

प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो चकबन्दी वहां हो रही है उस में क्या हुआ। होता यह है कि एक समय निर्धारित होता है जिस के अन्दर चकबन्दी हो जानी चाहिये। जब समय आता है तब तक तो अधिकारी लोग काम करते नहीं हैं। समय खत्म होने पर वह लोग गलत एंट्रीज कर देते हैं। जब गलत एंट्रीज होने के बाद किसान के पास पहुंचती हैं तब किसान दौड़ धूप करता है। कभी तहसीलदार के पास जाता है, कभी किसी और के पास जाता है। उस को बेइन्तहा परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन इस पर भी उन की कोई सुनवाई नहीं होती है।

आज उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। इस के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि आज वहां पर फर्जी आपरेशन किये जा रहे हैं। ऐसा करने का एक कारण है। जो गांव में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं चाहे ग्रामसेवक हो चाहे दूसरा कोई हो, उस पर यह पाबन्दी लगी होती है कि दो हफ्ते के अन्दर वह 10—15 आपरेशन करवाये। जब आदमी मिलते नहीं हैं तब वह इस तरह की फर्जी कार्रवाई करते हैं। सरकार को चाहिये कि वह वहां ऐसे लोगों को भेजे, चाहे बी० डी० ओ० हो चाहे कोई और उन को देहातों में भेजा जाय और वहां जा कर वह इस की महत्ता को समझायें। चाहे अफसर हों, चाहे छोटे कर्मचारी हों या बड़े कर्मचारी हों, उन पर दबाव डालने या जबर्दस्ती आपरेशन करवाने का जो विचार है यह गलत है क्योंकि इस से बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी को जो कि 70 वर्ष का था, बहराइच से नानपारा जा रहा था स्टेशन पर पकड़ लिया गया, और उस का आपरेशन कर दिया गया। उस को जो दस रुपये मिलने चाहिये थे वह भी नहीं मिले।

इस प्रकार की जो स्थिति है उस को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाये।

श्री विद्या चरण शुक्ल: अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया और कई काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। उन्होंने कई अच्छी बातें भी बतलाई जिन के ऊपर हम लोग अवश्य ध्यान देंगे। प्रोफैसर रंगा...

SHRI RANGA: On a matter of personal explanation. I referred to all these tube wells, development of irrigation projects and all these things. It is not that I am opposed to the development of U.P. or to make this money available. We have supported all these things. My only point is that they should have thought of these things much before and not waited for the Presidential rule. They are thinking of these things only now and I was afraid that there seemed to be some

[Shri Ranga]

political interest in this. Otherwise, I am all in favour of these grants which we have ourselves passed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am glad you clarified it.

मैं कह रहा था कि बहुत से सुझाव दिये गये। उन पर हम विचार करेंगे और जिन सुझावों का हम जनहित में उपयोग कर सकते हैं उन का उपयोग करेंगे।

प्रोफेसर रंगा ने अपने भाषण में कई बातें कहीं। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण भी किया। मैं यह बात उन से सब से पहले कह देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय शासन चलता था तब उत्तर प्रदेश को केन्द्र से उचित सहायता नहीं मिलती थी और आज जब वहां पर राष्ट्रपति शासन है तब केन्द्र की ओर से उस को अधिक सहायता दी जा रही है। जो भी उचित सहायता आवश्यक रही है वह हमेशा दी गई है। यह बात अलग है कि वह सहायता आज जिस प्रकार काम में लाई जा रही है उस का ज्यादा प्रभाव पडता हो और उस सहायता को इस तरह से काम में लाया जा रहा हो जिस से जनता का ज्यादा फायदा होता हो। हो सकता है कि इस से पहले वह सहायता इस तरह से काम में लाई गई हो जिस से जनता को खुशी नहीं होती रही हो और उस का फायदा न हुआ हो। मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि साधारण तौर पर कोई पक्षपात या भेद भाव नहीं किया गया है। यह भी आश्वासन मैं सदन को देना चाहता हूं कि किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ नहीं है इस सहायता के देने में। हमेशा एक ही विचार रहता है कि वहां की गरीब जनता की समस्यायें जल्दी से जल्दी हल की जायें और उन की समस्याओं को हल करने के लिये जितनी सहायता हम लोग दे सकते हैं राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत उतनी हम अवश्य दें।

18.00 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

दूसरी बात जो प्रोफेसर रंगा ने कही वह संविधान के संबंध में थी। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं चुनाव की रीति के बारे में और कमिटी रुल के बारे में। मैं उन से आदरपूर्वक यह कहूंगा कि वह इस बात का खयाल रक्खें कि हम को जो संविधान हमारे सामने है उस के अन्तर्गत काम करना है। अगर उस में कुछ संशोधन करना है तो वह दूसरे ढंग से हो सकता है। लेकिन वह बड़ा प्रश्न है और उस पर अलग से विचार किया जा सकता है, और मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात की आवश्यकता है कि मैं उस के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करूं। परन्तु एक बात जो उन्होंने कही उस के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने भी इस के सम्बन्ध में कुछ कहा। श्री रंगा ने कहा कि हमें सर्वदलीय सरकार चाहिये, राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिये। जैसा श्री यादव ने बतलाया पूरे देश को और देश की जनता को इस तरह की सर्वदलीय सरकारों का बड़ा कटु अनुभव है, और मैं समझता हूं कि सर्वदलीय सरकारों में जो दल सम्मिलित थे उन्हें भी बड़ा कटु अनुभव हुआ है। वे इस बात को समझ गए हैं कि इस तरह से आदर्श विहीन, विचारधारा विहीन और केवल अवसरवादिता के आधार पर अगर संमिद की सरकारें बनाई जाती हैं तो उसके अन्तर्गत जनहित के कार्य करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। जब तक हमारे देश में इस प्रकार राजनीतिक दल मौजूद हैं जैसे

कि स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और इन दोनों को सरकार में बिठा कर काम चलाया जाएगा तो किसी भी सरकार की वही दुर्दशा होगी जो संविद की सरकारों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हुई है या दूसरे प्रान्तों में हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि रंगा साहब की यह मंशा है कि पूरे भारतवर्ष की उस तरह की दुर्दशा हो जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुई है या बिहार की हुई है या पंजाब की हुई है या हरियाणा की हुई है या बंगाल की हुई है। जहां जहां आदर्शविहीन सरकारें बनी हैं और किसी तरह का आदर्शवाद में उन पार्टियों में कोई समझौता नहीं हुआ है और केवल सरकार में घुस कर किसी तरह से काम चलाने की कोशिश की गई है, अवसरवाद का सहारा ले कर, उन सरकारों के आने से हमारे प्रदेशों का कितना भीषण नुकसान हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है जनता को, इसको अपनी आंखों से देख लेने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि रंगा साहब सरीखे गम्भीर और अनुभवी राजनीतिज्ञ भी इस तरह का सुझाव हमारे हाउस में दे सकते हैं। मैं कहूंगा कि जिन दलों ने आदर्शवाद से प्रेरित हो कर आपस में समझौता कर लिया है ऐसे दलों के साथ बैठ कर सरकार चलाने की बात को तो सोचा जा सकता है और उस में मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी आपत्ति करेगा और किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इस तरह से दो या तीन दल मिल कर सरकार बना भी सकते हैं और काम चला भी सकते हैं पर आदर्शवाद से हट कर केवल अवसरवाद के ऊपर आधारित हो कर अगर सरकार चलाने की बात होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि वह देश हित की बात हो सकती है या जनहित की बात हो सकती है।

श्री राम कृष्ण सिन्हा जो फैजाबाद से आते हैं उन्होंने फैजाबाद डिविजन के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि फैजाबाद डिविजन में बहुत कुछ काम करने को है और वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और समस्यायें भी वहां की बहुत ज्यादा हैं। जो कुछ भी काम हुआ है, उसके अतिरिक्त और भी बहुत काम करने की वहां आवश्यकता है, इसको मैं मानता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपने क्षेत्रों की मांगों को यहां पर रखा है। जो जो भी मांगें उनकी हम लोग मान सकते हैं या जिन जिन मांगों पर हम विचार कर सकते हैं, अवश्य विचार करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जितने दिन वहां राष्ट्रपति का शासन लागू रहे, उस बीच में उन समस्याओं के ऊपर प्रभावकारी ढंग से विचार करके कार्रवाई की जाए।

जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के कानून में संशोधन करने का सवाल है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर उचित निर्णय कुछ ही समय में हो सकेगा।

माननीय रामजी राम ने कई बातें कही हैं खास कर हरिजनों के सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की यह नीति सदैव से रही है कि हरिजनों को, आदिवासियों को तथा दूसरे पिछड़े लोगों को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाए और वे उन्नति कर सकें, इसके लिए विशद रूप से सहायता दी जाए। इसी नीति के अनुसार कार्य भी किये गये हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं ठीक से काम न हुआ हो। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की कोई खास बात उनके ध्यान में हो तो उसे वह हमारे

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

ध्यान में लायें और उसके बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से लिखापढ़ी करके उचित कार्रवाई करेंगे और यदि कोई कहीं पर ऐसी बात थी नहीं हो रही थी उसको करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साधारण रूप से हरिजनों और आदिवासियों का काम नहीं होता है और इसके बारे में यदि कोई खास बात उनके ध्यान में है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वह हमें बतायें ताकि उसको देख कर उस पर हम उचित कार्रवाई कर सकें।

चंद्रिका प्रसाद जी ने बलिया गोलीकांड के सम्बन्ध में बातें कही हैं। मैं जानता हूं कि इस बारे में यहां पर और दूसरे सदन में भी चर्चा हुई है। वहां पर कुछ एक अजीब सी दुर्घटना हुई जिस के बारे में पहले से किसी ने नहीं सोचा था, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि थोड़ा सा तनाव था और उस तनाव को रोकने के लिए और किसी दुर्घटना को रोकने के लिए थोड़ा बहुत वहां पर इंतज़ाम किया गया था तो भी कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साफ नहीं हैं। इसलिए सरकार सोच रही है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू का कोई एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात के लिए नियुक्त किया जाए जो सब बातों का पता लगाये और पता लगा कर राज्य सरकार को इस बारे में बताये कि वहां यदि किसी की गलती हुई है तो वह कौन था और किस तरह की गलती हुई है और इन गलतियों को रोकने के लिए आगे क्या किया जाए।

बेकारी की समस्या के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं मानता हूं कि बेकारी की समस्या बहुत भीषण समस्या है। वैसे तो यह देशव्यापी समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह समस्या काफी गम्भीर रूप धारण किये हुए हैं। लेकिन यह ऐसी व्यापक बात है जिस के बारे में आज इतने कम समय में कुछ बहुत हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चौथी योजना बनाई जा रही है उस में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस बेकारी की समस्या को किस तरह से हम हल कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए तो खास कदम उठाने की जरूरत है।

पूर्वी जिलों की समस्याओं के बारे में भी ज़िक्र किया गया है। जैसा कि कहा गया है कि उन जिलों के लिए एक विशेष रिपोर्ट बनाई गई थी लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं इस वक्त कि इस रिपोर्ट पर कितनी कार्रवाई की गई। लेकिन यह बात सर्व-विदित है कि ये समस्यायें वहां पर हैं और इनको हल करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहियें। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय रघुवीर सिंह शास्त्रीजी ने जो दवा बताई है उस दवा से कोई लाभ होगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके यदि इस चीज को ठीक करने का प्रयत्न किया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे क्या फायदा होगा। मैं समझता हूं कि हमें प्रयत्न करने चाहिए कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां आबादी अधिक हैं वहां योजनाबद्ध विकास बहुत विशेष ढंग से हो और विशेष ध्यान उन की ओर दिया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिमी जिलों की कीमत पर इन पूर्वी जिलों का विकास किया जाए या पश्चिमी जिलों से जो पैसा मिलता है उसको ले कर पूर्वी जिलों का विकास किया जाए। उत्तर प्रदेश एक है। उसके जितने भी साधन हैं उनके अन्तर्गत रहते हुए जनता के हित में उनका सही-सही इस्तेमाल होना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस तरह का उपयोग करने का यत्न भी आज हम लोग कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के आरोप लगाये हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारीगण बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जिला प्रशासन खत्म होता जा रहा है। मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ हो पर इस तरह का जनरल आरोप लगाना यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि इस तरह के आरोप सब अधिकारियों के लिए लगाये जाते हैं तो जो अधिकारीगण थोड़ा बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वे भी हतोत्साहित होते हैं। बहुत से अधिकारी आप जानते हैं ईमानदार हैं, देश सेवा की भावना से काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बेईमानी भी करते होंगे या गलत ढंग से काम करते होंगे। मेरा निवेदन है कि जब भी इस तरह का कोई आरोप लगाया जाए तो वह स्पेसिफिक होना चाहिये। किस अधिकारी के बारे में है यह बताया जाना चाहिये। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारी चीज को आप हमारे पास भेज सकते हैं, हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, उसकी विस्तृत रूप से जांच करा सकते हैं और अगर उस में सच्चाई पाई गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब जनरल आरोप लगाये जाते हैं तो उससे न जनता का फायदा होता और न ही समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है बल्कि कटु भावना और गलत ढंग की भावना फैलती है, भ्रम फैलता है और भ्रम के वातावरण में और आरोपों प्रत्यारोपों के वातावरण में जो काम ठीक होना चाहिये, उसमें बाधा पड़ती है और जो हमारे मन में है कि जनता की तकलीफें दूर हों, उस में भी बड़ी बाधा पहुंचती है। इस वास्ते जनरल आरोप लगाने के बजाय विशेष रूप से बतायें कि कहां पर कौन सी गड़बड़ी हो रही है.....

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अभी श्री रामजी राम ने आपको बताया है कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब बात करने के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम तो चमार के चमार हो, तुम्हारी क्या बात है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इसका पूर्ण विवरण मुझे दिया जाएगा तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और कोई आपत्तिजनक बात सामने आई उस जांच में तो आवश्यक कार्रवाई करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाएगी।

जिला परिषद के अधिकारियों और अध्यक्षों के बारे में भी बातें कही गई हैं और आरोप लगाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से जनरल आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें। अगर कोई स्पेसिफिक बात किसी माननीय सदस्य के पास हो तो उसे वह हमारे पास भेजें और हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने को तैयार हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, स्थानीय मांगों के बारे में कहा है। हम उनके ऊपर भी ध्यान देंगे और जो कुछ हमारी शक्ति में है और जो थोड़ा सा समय हमारे पास है, उस में हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं करने का यत्न करेंगे। माननीय सदस्य जानते ही है कि राष्ट्रपति जी का शासन थोड़े से समय के लिए है और हम लोग ऐसा कोई बड़ा कार्य वहां शुरू नहीं कर सकते हैं कि बाद में बहुत सा वित्तीय भार आने वाली सरकार पर पड़े। हम लोग चाहते हैं कि ठोस ढंग से जन हित का कार्य राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां चले और काम चलाऊ सरकार के रूप में ही काम न चले! लेकिन यह भी सोचन

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

है कि आने वाली जो लोकतंत्रीय सरकार है, उसके लिए हम इतने बड़े बड़े वित्तीय भार आज न पैदा कर दें कि आगे चल कर उनको सम्भाल पाना उसके लिए मुश्किल हो, उनको काम में लाना, उसके लिए मुश्किल हो।

कई माननीय सदस्यों ने संविद सरकार के गुण गाने की कोशिश की। मैं यह नहीं कहता कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार बुरी है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अहना निर्णय कुछ ही महीनों में देगी। उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं यह निर्णय करेगी कि उसे किस प्रकार का शासन पसन्द है और उस निर्णय की प्रतीक्षा माननीय सदस्य करें, यह मेरा उन से अनुरोध हैं।

माननीय सदस्य, श्री ग़यूर अली खां ने यह आरोप लगाया कि केन्द्रीय सरकार ने संविद सरकार को गिराया। इस तरह की बातें सुन सुन कर लोग परेशान हो गये हैं। इस तरह की बातें करने से न उन का फ़ायदा है, न उन के दल का फ़ायदा है और न देश का फ़ायदा है। यह बात सब के सामने साफ़ है कि संविद सरकार किस तरह गिरी। अगर वह इस तरह वास्तविकता से आंख मूंद कर राजनीति में चलने की कोशिश करेंगे, तो न उन का और न उन के दल का फ़ायदा होगा। अगर वह वास्तविकता को समझें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उन की पार्टी कुछ आगे बढ़े, जनता के लिए कुछ काम कर सके और उसका समर्थन प्राप्त कर सके। लेकिन इस तरह की नारेबाज़ी से न जनता का फ़ायदा होता है और न हमारा फ़ायदा होता है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह की बातें न करें। इस बात में केन्द्रीय सरकार की कोई रुचि नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार चले और कौन सी सरकार गिरे। वह तो स्थानीय विधायकगण और नेताओं का मसला था। जब यह देखा गया कि वहां पर संवैधानिक ढंग से सरकार चलना असम्भव है, तभी हमें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा, जिस से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और नया चुनाव करने की आवश्यकता पड़ी। अगर ऐसा करने की आवश्यकता न पड़ती, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती। हमें इस में ज़रा भी खुशी नहीं है कि इतने राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत आ गये हैं। हम लोगों को इस बात से दुख होता है कि जिस तरह का प्रजातंत्र हमारे देश में अब तक चलता रहा है, उस में इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस तरह की कठिनाइयां हमारे राज्यों के सामने पैदा न हों, हमारा संवैधानिक ढांचा ठीक तरह से काम करे और राजनैतिक स्थिरता बनी रहे, जिस से जनहित के कार्य ठीक तरह से चलते रहें।

जब इस प्रकार का राजनैतिक अस्थिरता होती है और सरकारें बदलती हैं, तो जनता का बहुत नुक्सान होता हैं। राजनीतिज्ञ तो कभी सरकार में रहेंगे और कभी बाहर, कभी वे फ़ायदा उठायेंगे और कभी नुक्सान, लेकिन इस तरह की राजनैतिक अस्थिरता से जनता का तो निरन्तर नुक्सान होता है। किसी भी माननीय सदस्य के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार इस बात में रुचि लेती है कि कौन सी सरकार कहां रहे और कौन सी सरकार कहां गिरे।

जैसाकि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है, हम लोग चाहते हैं कि फ़रवरी

में चुनाव अवश्य हो जायें। चूंकि इन छः महीनों में चुनाव होना सम्भव नहीं होगा, इसी लिए हमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा को छः महीने और बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों के सामने आना पड़ा। जो बातें मैंने यहां पर रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन पर विचार कर के माननीय सदन इस उद्घोषणा को छः महीने और बढ़ाने में अपनी सम्मति देगा।

श्री शारदानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि जिला परिषदों और उन के अध्यक्षों पर इस प्रकार के अस्पष्ट चार्ज न लगाये जायें। मैं ने तो एक निश्चित चार्ज लगाया है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की खुफ़िया जांच करायें कि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बदायूं, पीलीभीत, बरेली आदि जिलों में वहां के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से इस प्रकार का चन्दा वसूल किया जाता है या नहीं। अगर मंत्री महोदय किसी भी जिले में इस की एन्क्वायरी करायेंगे, तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन के साथ ज्यादती की जा रही है।

श्री बाल गोविन्द वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सीतापुर के बारे में तो मैं नहीं जानता। वहां जो कुछ भी होता हो। लेकिन लखीमपुर खीरी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इस लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है।

श्री शारदानन्द : तो लखीमपुर खीरी के बारे में ही एन्क्वायरी कराई जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Hon. Members should remember that the Hon. Minister has already given an assurance in his reply that if a specific charge is made and evidence is given, he will certainly institute an inquiry, but vague charges cannot be enquired into.

Now I will put the amendment of SHRI S. M. BANERJEE to the vote of the House. The question is:

'That in the Resolution,—*for* "six months" *substitute*—"three months." (1)

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 25th February 1968, in respect of Uttar Pradesh issued under article 356 of the Constitution by the President, as varied by subsequent Proclamation dated the 15th April, 1968, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968."

The motion was adopted.

18-16 HRS.

STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF WEST BENGAL.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the Resolution regarding West Bengal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to move:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 20th February, 1968, in respect of West Bengal issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 22nd September, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 20th February,